[Shri Nanda]

and informed the gateman of the level crossing gate nearby to protect the track. It is reported that the driver of 40 Down Janta Express exploded the detonators which had been placed by the gateman and controlled his train but for which the consequences of the derailment would have been much more serious. He could not, however, bring his train to a stop before the place where it is reported, a fish plate of the left rail of the down track had been opened.

On receipt of information about the accident, the Deputy Inspector General and the Superintendent of Government Railway Police, Allahabad, the District Magistrate and Superintendent of Police Fatehpur proceeded to the site of the accident by road. The Divisional Superintendent of Allahabad Division of the Northern Railway, along with other Divisional Officers also proceeded to the site by road. The General Manager, Northern Railway alongwith Chief Operating Superintendent, the Chief Medical Officer and the Chief Engineer left for the site by train No. 86 Down Assam Mail. The Superintendents of Police of the U. P., C. I. D. incharge of the crime branch and the scientific section also proceed to the site of the accident.

The Additional Commissioner of Railway Safety, Lucknow has reached the site of accident and has commenced his inquiry.

15.04 hrs.

MOTIONS *RE*: REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES, AND THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Randhir Singh to continue his speech.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कल मैंने अर्ज किया था कि तीस स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीन है सारे देश में उस जमीन को लेकर बांट दिया जाना चाहिये लैंडलैस किसानों में, हरिजनों में, ट्राइब्ज में तथा दूसरे भाइयों में। तीस स्टैंडर्ड एकड़ की कीमत कोई दो लाख बैठती है। न सिर्फ लैंड रिफार्म देहातों के लिये किए जाएं बल्कि शहरी सम्पत्ति का भी बंटवारा होना चाहिये। दो लाख से ज्यादा की सम्पत्ति किसी के पास नहीं रहनी चाहिये। चाहे टाटा हो या बिड़ला हो, बड़ा हो या छोटा हो, उस पर भी दो लाख की सीलिंग एप्लाई होनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि देहातों के लिए तो एक पैमाना और शहरों के लिए दूसरा पैमाना। शहरों के लिए सुना जाता है कि पांच छः लाख की सीलिंग रखी जा रही है और देहातों के लिए तीस स्टैंडर्ड एकड़ की यानी दो लाख की या इससे भी कुछ कम की। इसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इसी तरह से जो इनकम है या तनख्वाहें हैं, कारखानों वगैरह से जो आमदनी है उसके लिये भी सीलिंग मुकर्रर हो। दो लाख से ज्यादा कोई आदमी ओन नहीं कर सकेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इस तरह से सारी फालतू इनकम को पूल करके फिर उसको बांट दिया जाना चाहिये। इसमें देर नहीं होनी चाहिये। जल्द इसको किया जाना चाहिये। लोगों ने बड़े-बड़े फार्म बना रखे हैं। सारे देश में और सब पार्टीज में इस सारे मसले पर बहस चल रही है। लोगों ने कोओप्रेटिव्ज के नाम से या रजिस्टर्ड कम्पनीज के नाम से या ट्रस्ट बना कर दुनिया भर के फार्म बना रखे हैं, जायदादें बना रखी हैं। सुना है कि बिड़ला जैसे लोग इनकम टैक्स से बचने के लिये कम्पनियां वगैरह बना लेते हैं और सब ऊटपटांग बातें की जाती हैं। यह ख़याल नहीं करना चाहिए कि कोई अमरीकन या कैनेडियन टाइप का फार्म है। चाहे कोई को-आपरेटिव सोसाइटी का फार्म हो और चाहे किसी कम्पनी के नाम से हो, उन सबको लेकर टिलर्ज आफ दि सायल को जमीन दी जाये, ताकि उनको काम करने का साधन मिले।

मैंने पहले भी कहा है कि इस तबके को मदद देने के बारे में हमें कोई ग्रज या नखरा नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिये कि हम कोई बड़ी भारी चैरिटी कर रहे हैं। इस तबके के साथ हजारों साल से जो सलूक किया गया है, हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। उनको स्पेशल इनसेन्टिव और सहूलियतें दी जानी चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरी बैकवर्ड जातियों को सोशल सफरर्ज और इकानोमिक सफरर्ज करार दिया जाये। उनको हर एक शोबे और दायरे में तब तक प्रेफरेंशल ट्रीटमेंट दिया जाये, जब तक कि वे उन दूसरे तबकों से बराबर न आ जायें, जिनकी हालत अच्छी है। इन लोगों की हालत को बेहतर बनाना हम अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझें। इसी में देश और कौम की इज्जत है।

मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं। हमारे 95 फीसदी वोटर्स देहाती हैं। वहां क्या हालत है? बेचारा गरीब सुबह से शाम तक गुलाम की तरह काम में लगा रहता है, लेकिन कोई नाप नहीं है कि उसको क्या मजदूरी मिलनी चाहिए। वह दिन रात काम करके पसीना-पसीना होता है, लेकिन फसल के मौके पर उसको नीचे का कुछ अनाज दे दिया जाता है। बड़े-बड़े लैंडलार्ड चैरिटी की तरह उसको बचा-खुचा अनाज दे देते हैं।

मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि देहात में मिनिमम वेजिज एक्ट लागू किया जाये। **ही हू वर्क्स मस्ट ईट**। जो जितनी मेहनत करता है, उसको उतना फल मिलना चाहिए, लेकिन आज वह नहीं मिलता है। हमारी स्टेट में, पंजाब में, मिलता है, लेकिन बहुत सी स्टेट्स में नहीं मिलता है। उन लोगों के लिये कोई वर्किंग आवर्ज नहीं हैं। हमारे भाई सरकारी नौकरों के लिए लिविंग वेज की बात करते हैं। वे देहात की उस तस्वीर को देखें। उन गरीबों में साथ गुलामों का सलूक किया जाता है। उनको ह्यूमैन वेज तो क्या, सब-ह्यूमेन वेज भी नहीं मिलती है।

जैसाकि श्री भंडारे ने कहा है, सिर्फ यही काफी नहीं है कि इन लोगों की इकानोमिक बैकवर्डनेस को दूर किया जाये, इनके लिए बढ़िया मकान बना दिये जायें। इनको पैसा दिया जाये और नौकरियां दी जायें। आज हालत यह है कि अगर सवर्ण जाति का कोई अनपढ़ आदमी भी चारपाई पर बैठता है, तो एम० ए० पास किसी हरिजन मैजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि वह उसके सामने चारपाई पर बैठ जाये। नब्बे साल का हरिजन भी दस साल के किसी गैर-हरिजन लड़के को दादा या ताऊ कह कर पुकारता है। यह भी तो बैकवर्ड-नेस है। आदमी आदमी में इतनी डिसपैरिटी! ह्यूमॅन वैल्यूज भी खत्म और भाई चारा भी खत्म। जिस फ्रैटर्निटी और ईक्वेलिटी का हमारे कांस्टीट्यूशन से प्रीएम्बल में जिक्र किया गया है, वह भी खत्म। ये लोग चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं, कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं। मैं कोई जजबाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। शादी के मौके पर कई दिन की बची हुई और जूठी जिन मिठाइयों और सब्जियों वगैरह को कुत्ता भी न खाये, उनको खाकरोब जाति की हरिजन औरतें ले जाती हैं। और उन मिठाइयों को मवेशियों के सामने नहीं डाला जाता है, बल्कि वे लोग खुद खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वे हमारे भाई हैं, हमारा खून हैं। अगर उनका नाम हरिजन पड़ गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यह हमारी कमी है।

हमने उन लोगों को सोशली आउटकास्ट कर रखा है। यह बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन जो शास्त्र इन बातों की इजाजत देते

[श्री रणधीर सिंह]

हैं या इन लोगों के साथ इस तरह का सलूक करने की बात कहते हैं, वे आउट-आफ-डेट हो गये हैं। वे आज-कल के समाजवाद के जमाने के लिए फिट नहीं हैं। "बेमहल तेरा तरन्नुम, नगमा बेमौसम तेरा।" हम ऐसे शास्त्रों को नहीं मानेंगे। हम गरीबों के साथ हैं। अगर कोई यह कहे कि मनु ने या ऋषियों-मुनियों ने यह लिखा है, तो हम उस को नहीं मानते हैं। हम तो यह जानते हैं कि हमारे इन पच्चीस करोड़ भाइयों को समाज में ईक्वल स्टेटस मिलना चाहिए।

इनकी तरफ से जो धमकियां दी जाती हैं, वे बिल्कुल ठीक हैं। इस्लाम और क्रिस्टियेनिटी में बराबर सोशलिज्म है, सोसाइटी में सबको बराबर हक हासिल है। पाकिस्तान का प्रैजिडेंट और पाकिस्तान का एक तबका एक प्याले में पानी पी लेते हैं। हमें क्या हो गया है? यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि दूसरे भाई तो सूरज की औलाद हैं और ये भाई कीड़े-मकोड़ों की तरह हैं। हमने अपने कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस की बात कही है। हमें अपने समाज का ट्रांसफार्मेशन करके अपने इन भाइयों को सोशल जस्टिस दिलाना है। पैसा देने के मुकाबले में यह बात ज्यादा जरूरी है।

श्री भंडारे ने कहा है कि अनटचेबिलिटी के मुताल्लिक आर्फेस कमिट करने वालों के लिए फाइन आर इमप्रिजनमेंट आर बोथ की सजा रखी गई है। इसकी वजह से ऐसा आफेंस करने वालों को सिर्फ आठ आने या एक रुपया जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि अनटचेबिलिटी एक्ट के सेक्शन 7 में ज्यादा रिगोरस सेन्टेन्स रखा जाये। उसमें कम से कम सात साल की कैद की सजा रखी जाये, मुजरिम की ट्रायल सेशन्ज कोर्ट में हो और उसकी जमानत न हो सके। इस तरह इन लोगों का दिमाग ठीक हो जायेगा।

श्री भंडारे ने कहा है कि कई अफसरों को इस एक्ट का पता नहीं होता है। अगर कोई अफसर लेप्स या गिल्टी हो, तो उसको सेक्शन 109 के मातहत ऐबेटमेंट में कर लिया जाये। अगर कोई अफसर किसी अनटचेबिलिटी आफेंस में जान-बूझ कर एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करता है, या ठीक नहीं करता है, तो उसको डिसमिस कर दिया जाये और उसको भी मुजरिमों के साथ शामिल कर लिया जाये। अगर देश में एक दो जगह ऐसा कर दिया जाये, तो सब ठीक हो जायें। हम एम० पीज० एक जगह खाते-पीते और रहते हैं। कोई महसूस नहीं करता है कि फलां हरिजन या स्कैवेंजर क्लास का एम० पी० है। जब हम स्टूडेंट्स थे, तब भी हममे कास्ट वगैरह का कोई ख्याल नहीं था। कुछ लोगों ने समाज, सभ्यता और पुरानी स्क्रिपचर्ज का नाम लेकर के तफरंके पैदा कर दिये हैं और इस तरह समाज को कमजोर कर दिया है।

मैं अपने कमजोर भाइयों को बहुत ज्यादा होप्स दिलाने की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं हे कि बहुत कमियां हैं। ठीक है कि कई जगह हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में कई जगह देखा थोड़े आदमी कहीं हैं, यूनियन सर्विस कमीशन में भी कई जगह हैं। प्लानिंग कमीशन में भी मैं चाहता हूं कि हों। इसी तरह मैं कहूंगा कि और जगहों में भी इनको होना चाहिये। यह कहेंगे कि मेरिट चाहिये तो मैं पूछता हूं कि क्या आप में ही सारी मेरिट आ गई? मैं तो यह कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इनका रिजर्वेशन होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट जजों के लेबेल पर भी होना चाहिये। कहते हैं कि मिलते नहीं हैं। मैं कहता हूं तुम्हारे अन्दर ही दिमाग का सारा भंडार आ गया है?

मैंने देखा है कि कई जगह जो ला में फेल होते रहे हैं उनकी बड़ी ऊंची प्रैक्टिस चलती है और जो गोल्ड मेडलिस्टस हैं वह बैठे हुये मक्खियां मारते रहते हैं । यह गरीब तबका बड़े अच्छे तरीके से इसमें कामयाब होता है । यह जो इम्तहान हैं यह कोई प्रापर इंटेलिजेंस टेस्ट थोड़े ही हैं कि इनमें कोई पास हुआ या फेल हुआ तो इसकी बिना पर आप उसकी योग्यता निर्धारित करें । यह तो अंग्रेजों का चलाया हुआ एक तरीका चला आ रहा है जिसमें कोई टेस्ट आदमी की एबिलिटी का नहीं होता । मैं नहीं मानता इस बात को कि आप इसके पीछे जायं और इससे गाइड हों । तो मैं चाहूंगा कि हाई लेबेल पर जूडिशियरी में और एग्जीक्यूटिव में तथा डिप्लोमेट्स में भी इनको लिया जाय । इनमें भी इनको हक मिलना चाहिए । और मैं यह कहूंगा कि यह कोई आप इनके साथ एहसान या फेवर नहीं कर रहे हैं । यह इनका हक है जो इनको दे रहे हैं । यह आई० ए० एस० म नहीं आए या फारेस्ट सर्विस में नहीं आये, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं आ पाये तो इनके दिमाग में खराबी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग में खराबी है जो तुमने इनको नहीं लिया और इसमें नहीं मिलते हैं, नहीं आ पाते हैं तो इमसे जूनियर लेबेल की पोस्ट पर उसको आप रखो ताकि शिकायत न हो । और यह हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, यह उनका हक है जिसको देकर हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं । पुलिस की बात कही जाती है, कहा जाता है कि यह बहादुर नहीं हैं । मैं नहीं मानता इस बात को कि केवल राजपूत ही या मराठा ही या जाट ही बहादुर हैं और बाकी वह हरिजन भाई बहादुर नहीं है । यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं यह महसूस करता हूं, मेरी तो यह बिरादरी ही है, कि हम दिन रात काम करते हैं, हमें पता है कि किसमें ताकत है । हमने कुश्ती लड़ कर भी देखा है और दूसरे काम करके भी देखा है, हमने देखा है कि हरिजन ताकत में, लड़ने में या हिम्मत में, किसी में किसी से कम नहीं हैं । फौज की बात आती है । कितने भाई नाम के ऊपर एतराज करते हैं कि वह जातियों के नाम पर जो फौज की टुकड़ियां हैं यह तोड़ी जायं, बेशक अगर तोड़ना है तो तोड़ी जाय । लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर नहीं तोड़ना है तो हरएक जगह बोर्डर सेक्योरिटी फोज में सी० आर० पी० में और दूसरी फौजों में भी हरिजनों के नाम से भी एक पल्टन अगर यह चाहते हैं तो जरूर होनी चाहिये । मैं पुरजोर इसकी मांग करता हूं ।

अगली बात मैं कहना चाहूंगा । हमने अपने कांस्टीट्यूशन में भी प्राविजन किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कि पानी तो कम से कम सब को मिले । तो सबको तो कहां मिलता है सारी आबादी को, मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके जो हरिजन मुहल्ले हैं उसमें तो कम से कम पानी का बन्दोबस्त कर दें और यह आप अपनी तरफ से करें । यह नहीं कि हरिजन पंचायत करें या वह करें । वह कहां से पैसा लाएंगे ? हमें पता है उनके पास पैसा नहीं है । हर तीसरे महीने मैं उनके बीच में जाता हूं, मुझे हरएक का पता है, मुझे पता है कि जुलाहे की क्या आमदनी है, 40-45 से ज्यादा नहीं है । मोची की क्या आमदनी है, मुझे पता है, वह भी 40-45 से ज्यादा नहीं है । बाल्मीकियों की आमदनी पूरे कुनबे की 20 या 25 से ज्यादा नहीं है एक महीने की । हमने उनके पास बैठ कर देखा है । जिन घरों में वह रहते हैं उनमें आदमी रह नहीं सकता । ऐसे घर हैं कि मैं समझता हूं कि पीलू मोदी को वहां ले जायं तो शायद आक्सीजन लेनी पड़ेगी । मैं खुद रहा हूं, जानता हूं उन घरों में इन्सान रह नहीं सकता । मैं क्या बताऊं आपको, शर्म आती है कहने में, तीन-तीन नौजवान लड़के हैं, बाप है, मां है, जवान लड़की है, छोटा सा घर

[श्री रणधीर सिंह]

है, चार पांच फुट का, जानवर भी उसमें नहीं रह सकता मगर उसमें वह रहते हैं। एक गरीब हरिजन मेरे सामने रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात है भाई, बोला चौधरी साहब क्या बताऊं ? मेरी बात तो छोड़ो, मेरे छोरे तो जैसे के तैसे ही रह गए। शादी भी खत्म हो गई। बहुओं को तो वह भेजता ही नहीं। कहता है कि कहां भेजूं ? बहुएं आएं तो उन्हें यहां कहां रखूं ? इसमें मैं रहूं या बुढ़िया रहे या लड़की रहे या वह रहें ? कहां रखूं ? हनीमून की बात आप करते हो। कहां मनाएं वह हनीमून ? और यह मैं कोई जोश की बात नहीं करता। ऐसी एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। किसी भाई ने कहा कि सीता के वक्त से यह बात चली आ रही है, आदमी नंगे रहते हैं। बिलकुल ठीक बात है और यह सारी पार्लियामेंट की तौहीन है, डेमोक्रेसी की तौहीन है, सारे देश की तौहीन है, मुल्क की तौहीन है कि हमारे मुल्क में इतने गरीब लोग रहते हैं और हम इस चीज को ठीक नहीं करते हैं तो कौन ठीक करेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम नहीं करते तो हम अपने फर्ज को पूरा नहीं करते। एक बात जो यह कही कि कम से कम मेहमान अगर आ जाय तो जवान लड़की के पास, बहुओं के पास कैसे रहे, उसके लिये एक कामन कम्युनिटी हाल तो सरकार बनवा दे और पानी का नलका वहां लगवा दें। इतना तो कम से कम कर दे और यह अपनी तरफ से कर दें। कम से कम पानी का इंतजाम तो उन गरीब हरिजनों के लिए सरकार कर दे। रोटी तो नही देंगे, कपड़ा तो नहीं देंगे और चीजें तो नहीं देंगे। लेकिन कम से कम इतना तो कर दें और स्टेट गवर्नमेंट्स को खास तौर पर हुक्म दें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यह ध्येय है कम से कम हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए तो आप इसे पूरा कर दें, बाकी चीजें आप पीछे देखें। यह चीज खास तौर से करनी है। अगर आप कर सकें तो बड़ा भला होगा।

अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं प्लाट्स के सम्बन्ध में। पंजाब में भी यह चीज हुई। मेरे अपने स्टेट में कई जगह प्लाट दिए हैं पांच पांच बिस्वे के। एक बीघे में 20 बिस्वे होते हैं। पांच बिस्वे के प्लाट उसको दिये हैं। वह गरीब आदमी उतने में अपना काम चला लेता है। वह नहीं लेना चाहता बड़े-बड़े प्लाट। उतने में ही अपनी गुजर कर लेता है। लेकिन मैंने देखा कई स्टेट्स में कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स में कई गरीब हरिजनों को गांव की तरफ से जमीन दी गई है, लेकिन उन प्लाटों का कब्जा दस-दस साल में भी उनको नहीं मिला...

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : मैंने बताया आपकी स्टेट के बारे में...

श्री रणधीर सिंह : यह ठीक है। उन्होंने कही थी कल यह बात, उस बात के लिये भी वंशी लाल जी यहां आ रहे हैं, उनसे मैं जिक्र करूंगा।

जो बात मैं कह रहा था वह यह कि इन प्लाटों का कब्जा दिलाने के लिये स्टेट गवर्नमेंट्स को आप लिखें कि डिप्टी कमिश्नर को सख्त ताकीद करें कि उनको इनका कब्जा दिलाएं। इनके पास कब्जा लेने के लिये दीवानी में जाने के लिये पैसा नहीं है। कहां से लाएंगे वह इतना पैसा ? कहां से लाएंगे वकील, कहां मिलेंगे उन्हें गवाह। तो चाहे ऐक्ट को चेंज करके जैसा कि कहा गया या दूसरे तरीके से जैसे भी हो उनको कब्जा आप दिलाएं।

अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो टाटा, बिरला, डालमियां के मारे हुए लोग हैं, इनकी तरफ आप ध्यान दें। जितने टाटा हैं

वह तो सारे लोहारों की इंडस्ट्री खा गए, जितने बिरला हैं यह सारे धानुकों की इंडस्ट्री खा गए। टाटाओं ने मोचियों को खत्म कर दिया। सारी जूते की इंडस्ट्री ले गए। इनके जो सौ सवा सौ परिवार हैं इनके एक-एक के पास पांच-पांच सौ एकड़ की सम्पत्ति है। मुझे पता नहीं है। भाई पीलू मोदी इसको अप्रीशिएट करेंगे या नहीं लेकिन यह मैं जरूर बताना चाहता हूं कि यह जो सौ के गरीब कुनबे हैं इनके पास कई हजार करोड़ की सम्पत्ति मौजूद है। अगर इन्हीं को पकड़ लें तो सारे हिन्दुस्तान के हरिजनों का 50 प्रतिशत मसला तो ऐग्रो-इंडस्ट्रीज का पूरा हो सकता है। आखिर और कहां से इंडस्ट्री आएगी? तो मैं खास तौर से कहूंगा कि यह जो खाए बैठे हैं, कुछ तो अंग्रेजों ने इन भाइयों को उजाड़ा और कुछ इन्होंने उजाड़ा। इन्हीं की लें, किसान तो देगा, 30 एकड़ से ऊपर देगा या और मांगे तो और देगा। वह हजारों साल से देता आया है और अब भी देगा। वह दे रहा है। लेकिन यह बड़े बड़े आदमी जो दबाए बैठे हैं, इनसे लिया जाय।

अब मैं रूरल हाउसिंग की बात पर आऊंगा। अभी हम गए थे साउथ में तो वहां एक जी० डी० नायडू हैं, बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह साढ़े सात सौ रुपये में कमरा और लैट्रिन वगैरह सब बना कर देते हैं। ताज्जुब होता है सुन कर लेकिन वह बनाते हैं और दो तीन कमरे का मकान डेढ़ हजार रुपये में बनाते हैं। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट दे कुछ वह खुद करें, कुछ कारपोरेशन या गांव की तरफ से हो तो काम चल सकता है। लेकिन जो कालोनीज आजकल बनती हैं, गांव से बिलकुल अलग मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। क्यों साहब? यह हमेशा अलग रहेंगे क्या? कुछ तो ऐसा है कि गांवों में जो नशेव की जमीन होती है वहां इनके मकान होते हैं। बारिश आई और सारे कूचे में पानी भर गया। हरिजनों के 95 फीसदी मकान उसमें गिर जाते हैं और फिर उसमें ऐसी आबोहवा होती है कि मच्छर भी भर जाते हैं आदमी तो कहां रह सकता है? तो गिरने के बाद दोबारा इन मकानों को बनाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम रूरल हाउसिंग की हो जिसके अंदर इनके लिए मकान बनाए जायं मगर उसमें अमलगमेटेड पापुलेशन की कालोनी हो। यह सेग्रेगेशन की पालिसी हमारी समझ में नहीं आती है। न इससे अनटचेबिलिटी दूर होती है न होमोजोनिटी आती है। एक दूसरे के प्रति वही क्लासहैट्रेड की भावना रखती है कि कौन ब्राह्मण है, कौन जाट है, कौन हरिजन है।

मैं आपकी मारफत यह कहना चाहता हूं कि सरकार राज्य-सरकारों को डायरेक्ट करे कि हरिजनों के लिए जो मकान बनाये जायं, वे इस तरह से बनाये जायं कि नान-हरिजनों के मकान उनके साथ लगें। इस सिलसिले में इस वक्त जो पालिसी चल रही है, वह गलत है।

एजूकेशन के सिलसिले में मुझे एक बात कहनी है—जो स्कालरशिप्स हरिजन लड़कों को बाहर भेजने के लिये दिये जाते हैं, वे थोड़े हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये ज्यादा दिये जायं, ताकि ये लड़के भी बाहर जा सकें और इनको भी दुनिया के बारे में पता लग सके। दूसरी बात जो स्कालरशिप यहां दिये जाते हैं, उनकी रकम थोड़ी है, इसमें उनका गुजारा नहीं होता है, मैं चाहता हूं कि इनकी रकम बढ़ाई जाय।

अब मैं एक बात बैकवर्ड क्लासेंज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे संविधान के आर्टीकल 340 और आर्टीकल 338(3) को पढ़ लीजिये। आर्टीकल 340 में बैकवर्ड क्लासेज के लिये एक कमीशन मुकर्रर होने की बात है, ऐसे कमीशन पहले एप्वाइन्ट हुए हैं और उन्होंने कई रिपोर्टें भी दी हैं। आर्टीकल 338 (3) में कहा गया है कि ऐसी जो रिपोर्ट आयेगी

[श्री रणधीर सिंह]

उसको बावत शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जिक्र किया जायगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी बहुत से बैकवर्ड क्लासेज की हालत शेड्यूल्ड कास्ट्स से भी बुरी है। मैं चाहूंगा कि उनकी बाबत भी इस रिपोर्ट में जिक्र हो और उनके लिये भी जो कुछ किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिये।

आखिरी बात यह है कि—चोर को क्या मारो, चोर के दादा को पकड़ो—इस देश में असली बीमारी जात-पात की है। मुझे पता नहीं कि यह इस देश से खत्म भी होगी या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि जब तक यह कायम रहेगी—मर्ज बढ़ता जायगा, ज्यों ज्यों दवा होगी। आप कितना ही इसको रोकने की कोशिश करें, फिर, भी यह एलीमेंट रह ही जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन्टर-कास्ट मैरिजेज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे लीडरों ने इन्टर कास्ट मैरिजेज की हैं—लाला लाजपतराय ने की थी, भार्गव साहब ने की थी। मैं चाहता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। सरकार इसके लिये इन्सेन्टिव दें। जब तक हमारे देश से कास्टइज्म खत्म नहीं होगा, यह जात-पात का चक्कर चलता रहेगा।

डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं बड़ा मशकूर हूं, आपने मुझे मौका दिया। अक्सर शिकायतें यही हुई है कि रिपोर्ट की बातों की इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, खत्ते में पड़ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब बातों को इम्पलीमेंट किया जाय, बल्कि रिकमेन्डेशन से कुछ ज्यादा ही करना चाहिये ताकि इन्हें भी देश की आजादी की अहसास हो और महसूस हो कि देश को आजादी में हमारा भी कुछ स्टेटस है।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): I am very happy, Mr. Deputy Speaker, that you have given me this opportunity to speak on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, we have written much in our Constitution; Gandhiji has given his life to the uplift of Scheduled Castes and Tribes. Shri Chaitanya devoted his life to see that society was devoid of casteism. The Brahmo Samaj has done constructive work to finish casteism from India. My hon. friend was referring to inter-caste marriages. The Brahmo Samaj never stood in the way of inter-caste marriages and for the uplift of Scheduled Castes and Tribes. There have been inter-caste marriages in the Brahmo Samaj and in this respect the Brahmo Samaj has been able to make a definite contribution to India's development. We have heard a long speech from Choudhary Randhir Singh. He has overlooked one or two constructive suggestions but he has made some points which we all admire. Constitution Amendment Bills have been brought before this House for different purposes; we have amended the Constitution 18 times. It is funny that in the background of Gandhiji's life which was devoted to this question, we have never thought of amending article 335 of the Constitution.

I will just read article 335 to the House if I may. It says:

> "The claims of the member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

Also, article 16 says that it is not mandatory on the public sector undertaking to take Scheduled Castes and Scheduled Tribes although there is some reservation for them. Look at the loophole left in article 335. This article must be amended if any of these provisions have to come into force, because this leaves a loophole. As soon as a Scheduled Caste candidate or a Scheduled Tribe candidates come in for an appointment, the Union or the States or even the public sector undertaking says that "consistently with the maintenance of effi-

ciency of administration" we could not accommodate these people. I think this is unfair. (*Interruptions*) They say that the candidate is not found suitable. Why is he not found suitable ? There are so many pre-examination centres also, but these do not exist in every State. There is one at Allahabad. There are States where these centres do not exist. Every State should have these centres, so that these people can be trained there for examinations interviews in fact for everything they may have to face. They must be given proper training if we want to uplift the whole Scheduled Castes and Scheduled Tribe community. They comprise 25 per cent of the population of India. They are not to be ignored today. If we are to ignore these people, then we lose the whole background and colour of India, because it is the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, the Adivasis, who gave us the song and dance and custom of India, the colour and costume from the hillsides. They are the real backdrop of real India and whatever has come after that has only been superimposed. They are the Adivasis, the original people, the original residents of India. So I think that every effort must be made to do whatever we can, and to this end, article 335 and article 16 of the Constitution, both, should be amended. Let the amendments be brought up before the House.

Secondly, I want to bring to the notice of the House one thing. There have been housing schemes, we learn that Rs. 13 crores have been allotted for Scheduled Castes and Rs. 4.5 crores for Scheduled Tribes for housing. How many houses have been built ? For the Scheduled Castes, 1,85,965 houses have been built, and 51,523 housing sites have been given for them. I do not think this is anything to be proud of. Much more could have been done. How many are the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and what little has been done or is proposed to be done for them in regard to housing ?

Look at the figures for the Scheduled Tribes. 43,641 houses have been planned to be given, and 156 housing sites have been allotted. What is this figure ? What are these 156 housing sites ? If any Committee sits to consider a question like this, I think they would laugh at it. I do not think it is possible. One must have a much better allocation.

I quite agree that the *khas* lands that belong to the Government itself may be given to them instead of some people going in for spurious land grab movement, the Government itself should distribute the *khas* land among the harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Give them land to cultivate so that they do not have to move from place to place as very often the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have to do. (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : They are instigated.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Instigated. I do not think they should listen to them. If they are instigated, why should the Scheduled Castes and Scheduled Tribes listen to them ? I should advise the Adivasis that they should never be taken in by politics or political parties, who incite them into doing things for which they are blamed : they come with swords, lathis, bows and arrows and spears and they are instigated and they are told to do this and do that. It is not the fault of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but it is the politics behind it that is at fault the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are used as pawns. If the Scheduled Castes and Scheduled Tribes felt that something was really being done to ameliorate their condition, they would not be incited by the false politics that is put before them.

Let me come to scavengers. I know in my own constituency in Nadia in West Bengal the condition of the houses of the scavengers. It is a blot on the Union of India. No housing scheme has been implemented for the scavengers. What is the use of providing wheel barrow for carrying night-soil, etc. ? There should never be such separate colonies like Harijan colonies, scavengers' colonies, Scheduled Castes' colonies, etc. The conditions in which they live now are really unthinkable. If you go to a small district, town, the conditions in which they live are impossible. If you go to big towns like Calcutta, Madras or Bombay, it is still

[Shrimati Illa Palchoudhuri]

worse ! Why should they not have proper lighting, proper housing, proper drinking water and proper facilities ?

The hon. Prime Minister has said that she has allotted Rs. 3 crores for feeding children from birth upto three years. There should be a separate allocation for the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They suffer from malnutrition and are prone to diseases which can be so easily removed if they can be given a little good food from birth to 3 or 5 years. Every tax-payer should pay one rupee each for this and the corporate bodies should pay in proportion. If this could be done, this would be the real participation of the people with the people of India. This must be put in a Bill so that this may take concrete shape.

Coming to the land grab movement, who are these people who are grabbing the land ? They have grabbed land from Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Who are these people who say they are one with the peasants ? When I think of them, it reminds me of an old poem of Bengal ; D. L. Roy in Bengali. Its meaning is this : They laugh in the Russian way, cough in the Chinese way and they love to smoke cigarette in the western way and they claim they are friends of the peasants ! They grab the lands of the Harijans, set fire to their huts and they say they are friends of the peasants. Our Harijans have very little land. Their housing is bad. They have not been brought up to the level of the other citizens of India. The time has come when it cannot wait any more.

I am also surprised to see that although the committee has felt that *ad hoc* reports of any particular complaint about Harijans should be there, the Government's reply is heartless. They say there is "no need for any *ad hoc* report and the Commissioner's report is enough". We come across the Commissioner's report once a year in Parliament. Nobody knows what is happening. Harijan villages are set on fire. Four children were killed in front of their mother. Barbed wire was put round the houses of Harijans. But no *ad hoc* report was there about these incidents for Parliament to take cognizance of. What is the use of discussing the Commissioner's report once in three years in Parliament ? Look at the voluminous report. I do not think all the hon. Members have ever read the report. So, I would say that *ad hoc* reports of every incident that has occurred in an adverse way should be given to Parliament and every culprit should be brought to book, in whichever state or position he may be.

Sir, the tribals and the harijans are the heart of India. When we look at them we feel proud. Yet we have exploited our brothers and sisters for centuries. Now they are coming up. I can assure you that when they get education, when they come up, when they get a chance, they will be second to none. When we see them moving in the forests with their bows and arrows, they look beautiful. Their songs and dances will make you feel the pulse of real India. Let them have every chance and their lively customs and their efficiency will be our treasure and our pride.

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में यहां पर कई दिनों से बहस चल रही है। माननीय सदस्यों ने यहां पर जो बातें कहीं हैं उनमें बहुत सी बातें कामन हैं। हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए काम तो बहुत हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसको किस तरीके से किया जाय, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस सम्बन्ध में यहां पर कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि यहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में हरिजन तथा आदिवासियों को जिस मिनिस्ट्री के साथ में जोड़ा जाता रहा है वह बात कुछ दिमाग में बैठती नहीं कि ला मिनिस्ट्री या सोशल वेलेफेयर मिनिस्ट्री के साथ में इनका क्या सम्बन्ध है। इसमें ला या सोशल वेलफेयर की कोई बात नहीं है। इनमें क्या सिमिलेरिटी है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरा पहला

सुझाव यही है और मैं गवर्नमेन्ट से कहूंगी कि उनके लिये एक सेप्रेट मिनिस्ट्री बनाई जाय। जब तक एक सेप्रेट मिनिस्ट्री नहीं बनेगी तब-तक मेरा ख्याल है जितना ध्यान इनकी तरफ जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता है। पिछले 22 सालों का हमारा तर्जुबा है कि हम चाहे जितना भी चाहते रहे हों लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाये हैं। इसके जहां और बहुत से कारण हैं उनमें एक कारण यह भी है। इसलिए इस तरफ गवर्नमेन्ट को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास बहुत से डिपार्टमेन्ट रखे हैं लेकिन मैं कहूंगी कि एटामिक एनर्जी से भी महत्वपूर्ण काम इस देश में यह है कि इन देश के 20-25 करोड़ लोगों के दिलों में असंतोष है, उनमें नाराजगी है और वह बहुत दुखी हैं। और यह बात कोई गलत नहीं है। अगर हम इस कार्य को महत्व देना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगी कि स्टेट्स में भी सीनियर मिनिस्टर्स बल्कि चीफ मिनिस्टर को ही इस विभाग को अपने हाथ में लेना चाहिए और यहां पर सेन्टर में प्राइम मिनिस्टर इस पोर्टफोलियो को अपने पास रखें। मैं समझती हूं उसी स्थिति में इस सम्बन्ध में कुछ काम हो सकता है वरना नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि आज पालिटिक्स ऐसी बन गई है कि सभी हरिजनों के साथ सहानुभूति दिखलाते हैं लेकिन केवल सहानुभूति से तो काम नहीं बन सकता है। इसके लिए हमें जो ठोस बातें हैं और जो उनकी रिक्वायरमेन्ट्स हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब हम सुनते हैं कि हरिजनों को पीने का पानी नहीं मिलता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। गांधी सेन्टेनरी के अवसर पर जो लिट्रेचर तैयार हुआ था, जिसको कि बड़े लोगों ने तैयार किया था उसमें लिखा गया था कि इस देश में गांधीजी के नाम पर अगर कुछ करना है तो सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाए। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह पूछना चाहूंगी, कि इस बारे में हम ने कहां तक कदम बढ़ाया? मैं जानना चाहती हूं कि क्या उस ने आधा यह काम किया है, 25 परसेंट किया है? अगर आप इसका अन्दाज लगाने बैठेंगे, इसके लिये कोई इन्क्वायरी कमेटी बिठलायेंगे तो पता चलेगा कि हमने बहुत कम काम किया है। यह हमारे लिये शर्म और दुःख की बात है। यह मैं केवल क्रिटिसिज्म के लिये नहीं कह रही हूं, यह हम सबके लिए, सारी नेशन के लिए बहुत खराब बात है। आखिर इसके लिए कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। क्या आप कोई टाइम लिमिट फिक्स करना चाहते हैं? जब हम ट्राइबल लोगों की बात करते हैं तब यहां पर जो श्री केदारिया बैठे हैं वहा नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए हम अधिक कुछ कर नहीं पाये हैं। आज हम उन को मकान तक नहीं दे पाये हैं। अगर उनको हाउस साइट देनी है तो इस में क्या दिक्कत है, यह मेरी समझ में नहीं आता। गवर्नमेंन्ट के पास लैंड पड़ी हुई है, वह उन को क्यों नहीं दी जाती। जब हम इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंन्ट से कहते हैं तो वह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास जाओ, और अगर स्टेट गवर्नमेंन्ट के पास जाते हैं तो उनको राजनीति से ही अवकाश नहीं है। मैं कोई एक पार्टी के लिए ऐसी बात नहीं कह रही हूं सभी पार्टियों का यही हाल है। हम लोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग गला फाड़ते हैं गरीबों और हरिजनों के लिये, लेकिन हम उनके लिये कुछ कर नहीं पाये हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे रास्ते में कौन सी चीज आ जाती है जब हम उनको हाउस साइट देना चाहते हैं?

इसी तरह से एजुकेशन की बात है, एम्प्लायमेंट की बात है, लेकिन जो खास चीज

[श्रीमती जयाबेन शाह]

मुझे कहनी है उस पर बहुत कम सदस्यों ने रोशनी डाली है। जो दूसरी बातें कही गई हैं मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, लेकिन मैं विशेष रूप से भंगियों की दशा की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। अगर हम इस सवाल को छोड़ देते हैं तो हमारा सोशलिज्म की बात करना बेकार है। हम सोशलिज्म को मानते हैं, आप भी मानते हैं, ज्यादातर हिन्दुस्तान के लोग सोशलिज्म के मानने वाले हैं, लेकिन सोशलिज्म आखिर किस लिये है आखिर हमारे यहां एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बच्चे में क्या फर्क है? जब कोई आदमी अपने सिर के ऊपर टोकरी उठा कर चलता है तब हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिये। यह कौन सी डिमाक्रेसी है? सिर्फ वोट पा जाने से ही डिमाक्रेसी नहीं चलती है, हमको इसको रिऐलिटी बनाना होगा। और यह तभी रिऐलिटी बनेगी जब एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बीच में फर्क न हो। क्या हम यह कह सकते हैं कि एक भंगी का लड़का और हमारा लड़का एक जैसे हैं। जब तक यह हालत पैदा नहीं होगी, हमारे यहां असली डिमाक्रेसी नहीं आ सकती।

भंगी का जो काम है जब तक वह उसके ऊपर से नहीं उठाया जायेगा, तब तक चाहे जितना पैसा खर्च किया जाये, चाहे जितनी कोशिश की जाये, हिन्दुस्तान से अनटचेबिलिटी नहीं जा सकती। हम को देखना पड़ेगा कि अस्पृश्यता की जो जड़ है वह कहां पर है। जब तक हम देखते हैं कि एक इन्सान अपने सिर पर और अपने हाथ से दूसरे इन्सान का मैला ले जाता है, नाइट स्वायल उठा कर ले जाता है, तब तक उसके साथ खाने पीने के लिये हमारा दिल नहीं चलेगा। हमको वह दिन जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा और जो उसका असली कारण है उसका उन्मूलन करना पड़ेगा।

हमको बहुत आशा थी कि गांधी शताब्दी वर्ष में इसके बारे में कुछ किया जायेगा और भंगी मुक्ति का काम होगा, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग सिस्टम है वह खत्म होगा। आज यहां पर 50 लाख लैट्रिन्स हैं जहां भंगियों को दूसरे का मैला उठाना पड़ता है। आज आदमी चन्द्रलोक तक चला गया है, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में एक इन्सान के सिर पर से दूसरे इन्सान के मैले की टोकरी नहीं हटा सकते। ऐसी स्थिति में हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारे देश में पूरी तरह से सोशलिज्म आ गया है, डिमाक्रेसी आ गई है?

यहां बहुत से कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। जब देश की हालत बदलती रहती है तब अमेंडमेंड करना ही चाहिये। मैं कहती हूं कि इसके बारे में भी कानून बनाया जाये। बार-बार इस सदन में यह सवाल आता है कि कानून से पाबन्दी लगाई जाय कि किसी आदमी को सिर पर मैला उठा कर ले जाने का काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज तो देश में 50 लाख लैट्रीन्स ऐसे हैं जहां पर यह काम करना होता है, आप उनको कहां तक कन्वर्ट करेंगे? जब हम इसको कानून के जरिये बन्द करने की बात कहते हैं तो कह दिया जाता है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। हमने बहुत सी चीजों के लिये कांस्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया है। इसलिये इसके सम्बन्ध में भी जल्दी से जल्दी कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला कर ऐसा कानून बनाया जाय जिस से हमारे देश में एक इन्सान को दूसरे इन्सान का मैला न उठाना पड़े। यह इतना इनह्यूमन काम है, गन्दा काम है कि अगर किसी हाई क्लास के आदमी को पांच हजार रुपया देकर भी कहा जाय कि वह इस काम को करे तो वह तैयार नहीं होगा। उनके अन्दर शुरू से यह चीज भरी गई है कि

यह गन्दा काम है। इसलिये भंगी के काम को तो आप अवश्य ही रोकिये। सब से पहले उनके लिये यह काम किया जाना चाहिये। यहां पर आज मिनिस्टर साहब नहीं हैं, अच्छा होता अगर वह होते, लेकिन श्री जगन्नाथराव बैठे हैं, वह हमारी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचायें, मिनिस्टर तक भी पहुंचाये कि हमारे देश में भंगी की हालत ऐसी नहीं रहनी चाहिये।

आज हम अपना सिर उठा कर दुनिया में नहीं कह सकते कि हमारे देश में डिमाक्रेसी चलती है क्योंकि डेमाक्रेसी सिर्फ कागज पर नहीं रह सकती। आज हिन्दुस्तान में जो हालत है वह मेरे ख्याल से बहुत ही खराब है। इसको देख कर लोग नाराज होते हैं। श्री सोनावने बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने बीस घंटे इस वाद-विवाद के लिये मांगे, हांलाकि वह सोचते हैं कि बीस घंटे भी इसके लिये बहुत नहीं हैं। उनके दिल में आज एक आग लगी हुई है। वह मानते हैं कि यह जो प्राब्लेम है वह साल्व नहीं हुई है। उनके दिल में एक फस्ट्रेशन है। मैं मानती हूं कि हिन्दुस्तान में बाहर से फौज आने वाली नहीं है। अगर हिन्दुस्तान में अनार्की पैदा होगी, अगर तूफान मचेगा तो इन लोगों की वजह से मचेगा। अगर यह हालत नहीं सुधरी तो इस क्रान्ति को रोकना असम्भव होगा। आज यहां पर लैंड ग्रैब मूवमेंट चल रहा है। मैं इसको ऐप्रूव नहीं करती हूं, लेकिन मैं यह मानती हूं कि गरीब लोगों को काम देना होगा। अगर हम उनको रोटी नहीं दे सकते, उनको काम नहीं दे सकते तो जो गरीब लोग हैं वह हमारे विरुद्ध आगे आयेंगे।

हिन्दुस्तान में स्वराज्य आने से पहले गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान में आजादी आयेगी तब भंगी की लड़की राष्ट्रपति बनेगी। उन्होंने भंगी के साथ ही साथ स्त्री को भी गौरव देने की बात कही थी। उसी भंगी की लड़की जब हिन्दुस्तान में इधर से उधर घूमती फिरेगी तब हम क्या करेंगे? जो गांधी जी की कल्पना थी हमको उसके बारे में सोचना चाहिये। हम उनको सब बातें तो मानना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी बात को छोड़ देते हैं कि अगर हिन्दुस्तान के गरीब हरिजनों की हालत नहीं सुधरी तो देश का भविष्य नहीं सुधर सकता है।

मैं जानना चाहती हूं कि आप भंगियों की स्थिति को सुधारने के बारे में कोई टाइम लिमिट लगाना चाहते हैं या नहीं। आपको देखना चाहिये कि हरिजनों को क्या दिक्कतें हैं और सब से पहले भंगी मुक्ति की बात करनी चाहिये। आज कोई भी आदमी हो वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भंगी इसी तरह से अपना काम करता रहे। जो काम वह करते हैं वह अच्छा नहीं है। लेकिन यहां भंगियों के बारे में किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। जिन लोगों में समझ है या जिन लोगों ने गांधी जी से प्रेरणा ली है उनका फर्ज है कि वह इस ओर ध्यान दें। आज हिन्दुओं को इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान में कभी शांति होने वाली नहीं है। यहां की डिमाक्रेसी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी इन लोगों को दबा कर इन लोगों को पिछड़ा हुआ रख कर, उनको सेकेन्ड क्लास सिटिजेन रख कर हिन्दुस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये मैं फिर कहना चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें और भंगी मुक्ति का काम जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लें। हिन्दुस्तान के अन्दर दो साल में, एक साल में ऐसा दिन जरूर आयेगा जब एक इन्सान दूसरे इन्सान का मैला नहीं उठायेगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग सिस्टम जरूर चला जायेगा। मैं चाहती हूं कि जब मिनिस्टर साहब जवाब दें तो वह इसके बारे में जरूर ऐश्योरेंस दें।

[श्रीमती जयाबेन शाह]

अगर वह ऐसा ऐश्योरेंस देते हैं तो इससे सब का भला होगा और देश का भी कल्याण होगा। अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और उनके लिये करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं, डेवेलपमेंट कर सकते हैं—**आई ऐम आल फार डेवेलपमेंट**—तो भी अगर यह कहा जाय कि कारखानें मत खोलो फोर्थ प्लैन में, स्कूल बन्द कर दो, कालेज बन्द कर दो, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को बन्द करो, इस सिस्टम को निकालो। जब तक आप इस सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान सिर ऊंचा करके दुनिया में नहीं चल सकेगा। भंगी मुक्ति के लिए बहुत काम हमको करना पड़ेगा इसके लिये हमें उनको तैयार करना पड़ेगा। उनके लिए आल्टरनेटिव जाब्ज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को भी तैयार करना पड़ेगा। मेरा पक्का विश्वास है कि इस काम को अगर हम चाहें तो कुछ ही अर्से में कर सकते हैं। गांधी शताब्दी के दौरान प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके पास हम हरिजन सहायक समिति की ओर से गए थे और उनसे इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। हमने उनको कहा था कि आप इस पर विचार करें। आप मुझे माफ करें। अगर मैं यह कहूं कि उनके दिल को यह चीज जंची नहीं इसकी क्या इम्प्लीकेशंज हैं यह चीज भी उनके ख्याल में नहीं बैठी। प्लानिंग कमीशन क्या सोचता है और क्या नहीं, इसकी हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। गरीब जनता को हमें तैयार करना चाहिये। हमें इसके लिए आगे आकर प्रचार करना होगा। आप जानते ही हैं कि जब स्वराज्य आया उससे पहले गरीब जनता की हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेजों के सामने कुछ आवाज उठा सके। गांधी जी ने उठाई और हम लोग उनके पीछे चले, उनका साथ दिया, जेलों में गये, मरे। तब स्वराज्य आया। हम कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि हम इस काम को अपने जिम्मे लें और हिन्दुओं ने जो बड़ा पाप किया है, उसका प्रायश्चित जल्दी से जल्दी करें। जो कलंक है इसको जल्दी से जल्दी धोयें। गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहती हूं कि अगर धीरे धीरे आपने काम किया और हरिजनों के सवाल को साल्व करने में विलम्ब किया तो आप चाहे जितनी कोशिश करें, हिन्दुस्तान में शान्ति कभी नहीं रहेगी। यह मैं आपको चुनौती देकर कहना चाहती हूं।

**SHRI K. RAMANI (Coimbatore): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would at the very outset welcome the decision of the House to have this important debate for a duration of 20 hours. I would also at the same time not say that this subject under discussion has assumed any greater significance and importance merely by the extension of time to 20 hours. If the Government had realised the importance of the subject and also of the fact that two Reports of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes along with the Reports of Elayaperumal Committee were to be discussed, they would not have initially allotted just 5 hours. I feel that it is a matter of gratification that all the hon. Members of this House, including the Members belonging to the ruling party, succeeded in their effort to have this discussion extended to 20 hours. We are also bound to express our gratitude to the Chairman for having realised the importance of the subject and the demand of all the hon. Members for such an extension.

In this country there are about 10 crores of people belonging to scheduled castes and scheduled tribes. They constitute nearly one-fifth of the total population of the country. This huge mass of people branded as scheduled castes and scheduled tribes are being forced to live in isolation from the mainstream of society. Nowhere in the world such a large number of people are categorised as

**The original speech was delivered in Tamil.

scheduled castes and scheduled tribes. Whenever we go abroad, the first question a foreigner puts us is what is meant by caste and who are the people known as scheduled castes and scheduled tribes. This should be the experience of all those who have gone abroad. When I was abroad, I was also confronted with these questions. This oppressive caste system in the Hindu society is being perpetuated as one of the essential features of Hinduism. We have to bear in mind that unless and until we eradicate this caste system we will not be able to bring progressive social changes in our society.

15.59 hrs.

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

Mr. Chairman, Sir, if we are intent upon bettering the lot of backward classes, scheduled castes and scheduled tribes, the first and foremost task before us is to improve their economic condition. It is customary to have a discussion on the Report of the Commissioner every year as if it is a ritual. But there has never been a purposeful scrutiny of the significant features of the Commissioner's Report to ascertain how far untouchability has been removed from our society, how far social oppression has been mitigated and to what extent the evil of casteism has been successfully tackled. If we presume that the problems of these people could be solved permanently by providing a few schools here and there, by offering them a negligible number of scholarships and by reserving a small percentage of posts in the Services, then, I am afraid, we are thoroughly mistaken. If it is asked whether it is not necessary to take these elementary steps, I would say that we should take these steps, but we should not be complacent after taking these steps, as they alone are not going to solve the problem.

16 hrs.

It is common knowledge that a majority of the 10 crores of people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes—nearly 90% of them - live in rural areas and it is imperative that they should have land for their livelihood. Then only can there be any real improvement in their economic condition. They should have their own land to till and that is the only way to ensure their progress. If they are to toil for their livelihood as labourers on the lands and farms of others, there is absolutely no likelihood of their making any economic progress. Today, in the rural areas they are huddled together in hovels and slums. The agricultural operations cannot be carried on without them. The streets cannot be kept clean without them. The public sanitation cannot be ensured without them. Inspite of their key role in the day to day life of the people, we are keeping them segregated in hovels and slums.

What are the reforms we have brought about to help these oppressed people? What are the programmes implemented by the Commissioner for their welfare? What is the work done by the Social Welfare Department of the Government? Whatever has been done so far is not enough to absorb them in the mainstream of the society. What is being done or proposed to be done is to provide some drinking water facilities in the slums, to put up a few huts for their living and to create a few job opportunities for them. There is a scheme for their absorption in the rest of the society, if we believe as we all say that there is no difference between man and man and that they are an essential limb of the society.

When the Committee under the chairmanship of Shri Basumatari visited my constituency Coimbatore, and held discussions there in the Office of the Collector, I personally raised certain issues before them. When I was asked how untouchability was being practised in the rural areas. I gave an instance about a particular village. In that village water is supplied from an overhead tank. The Harijans are not permitted to draw water from the tap used by others in the village. There is a separate tap provided for them in the *cheri*. We talk glibly that arrangements for the supply of water have been made in the slums for the Harijans. Do you mean to suggest that the Harijans should be confined to their slums for ever as untouchables and the upper caste people should always have theirs way over them?

We try to placate them by providing certain amenities. Whenever they demand certain facilities, we spend some money and provide the facilities for them. But, all the while, our

[Shri K. Ramani]

ulterior motive is to make sure of their votes. They are being converted into pawns on the chess-board of politics. I would even say that we are using them as voting machines. We have never waged a struggle in right earnest to end the oppressive caste system ; we have never planned a constructive course of action to liberate these people from the stranglehold of casteism, and landlord oppression.

How will that struggle come about ? The number of agricultural labourers in the rural areas run into crores. A majority of the ten crores of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes live in the rural areas. They will form themselves into strong agricultural workers unions and start agitations demanding fair wages for their labour on the land and also land for tilling. The distribution of *poramboke* and forest lands of the Government will not solve the problem. How many out of the 8 or 9 crores of people could be provided with *poramboke* and forest lands of the Government ? That is why we have been pointing out that lakhs and lakhs of acres of land in the possession of big zamindars, landlords, Maharajas and such other rich people should be taken over and re-distributed to these people. The moment we say that, the hon. Members belonging to Swatantra Party and Jan Sangh, and for that matter even the members belonging to Congress, start asking how these people will be able to cultivate profitably half-an acre or one-fourth of an acre of land which they will get as a result of such distribution. They also ask whether the small holdings would be economically viable. By raising such questions, it is obvious that they want these people to remain landless agricultural labourers for ever. Just because they are now agitating for land, the Government are trying to pacify them by giving them little bits of *poramboke* and fallow lands. That, surely is not the proper approach to solve the basic problem faced by Harijans.

I would suggest that all the surplus land concentrated in the hands of a few people should be taken away by Government and re-distributed among Harijans. Today crores of landless agricultural workers are engaged in a life and death struggle for getting land for themselves ; they have staked their life for this cause. When they find that they are unable to cultivate the small holdings profitably, they will themselves come forward to have cooperative farming. But what they want now is to have a piece of land for themselves. They must be given the land and that is how the basic question of land reforms should be tackled. Many people question whether land reforms mean forcible occupation of land belonging to others. Have not the rich people taken illegally possession of Government land, including even cremation grounds ? Have they not obtained *pattas* for such lands by bribing the village munsiffs ? Have they not appropriated to themselves thousands of acres by such foul means ? Are such methods justified ? Are they legal ? When crores and crores of people are landless and are suffering from the pangs of hunger and starvation, how far is it justified that a handful of people should enjoy the fruits of large holdings ?

Mr. Chairman, Sir, if the Constitution stands in the way of bringing about this much-needed land reform, I would go to the extent of suggesting that you either amend the Constitution suitably or the people will discard it and frame such a Constitution as will corporate the wishes and aspirations of the people. The Constitution is meant for the welfare of the people and the people cannot be expected to suffer privations because of some articles of the Constitution. The people framed a Constitution for themselves in certain circumstances. If that Constitution does not enable them to achieve their goal, then it deserves to be put aside. Necessary steps will then have to be taken to frame a new Constitution incorporating provisions for re-distribution of land to these people. Then only the basic problem can be tackled successfully.

If an attempt is made to take over the lakhs and lakhs of acres of land belonging to temples-for example, in Tanjore District three lakh acres of land belong to temples—zamindars, former princes and big landlords, then immediately they seek Police assistance. When Palayakottai Pattakkarar, a former Minister of Tamil Nadu Government, came to know that

his lands were likely to be occupied by the so-called land grabbers he wrote a letter to the I. G. of Police, Shri Mahadevan and sought police protection which was granted. In these circumstances, how can you take over their lands ? Under the existing laws, you cannot bring about any worthwhile land reforms.

After forming themselves into mass agricultural workers Unions to get their grievances redressed, when the Harijans and the landless agricultural labourers start an agitation for occupying lands for their livelihood, they are not indulging in any criminal activity. Not only these people, but also the industrial workers in the urban centres who are now being exploited mercilessly by the capitalists and industrialists, the middle class people and the small farmers having uneconomic small holdings and struggling hard to make both ends meet should join hands and unite to start a revolution to wipe out landlordism in the country. Then only this problem can be solved. When we say this, we are abused as violent agitators and are nick-named as 'Naxalites' instigating violence. If the Government are regular in collecting statistics, they will realise how lakhs and lakhs of acres of land belonging to the poor people is being expropriated violently by the rich people every year. This may be explained away by saying that these lands were attached under Court orders for non-payment of debts. If the Government want, they will be able to get all the required statistics, but they will never do that. The Government do not approach this problem from this point of view, and are not trying to tackle this basic problem.

The Commissioner and the Social Welfare Department may create more schooling facilities, award a few more scholarships, arrange for free education, construct hostels and also reserve a certain quota in the Services for these people. But, if they forget or try to brush aside the basic problem, then they will not be able to bring about any land reform worth the name and the real problem of Harijans will not be solved.

I would now refer to the problem of widespread prevalence of casteism in our society. How are we to abolish the caste system in our country and bring about a social revolution ? The caste system is prevalent only in India and nowhere else in the world. To whichever place we go in a foreign country, we are asked what is meant by caste. Many hon. Members waxed eloquent and said that casteism should be put an end to and for that we should do this and that. I would like to throw a challenge to the hon. Members of this House. We have got suffixes like Mukherjee, Singh, Dwivedy, Chaturvedi, Nair, Namboodri, Pattar, Menon, Gounder and so on, to our names. I would ask whether we should not do away with the 'tails' to our names. Nobody should have a suffix to his name, signifying his caste. Why should we not be known only by our names ? When it comes to that, I am doubtful whether any one here will be prepared to do that because caste is an instrument of Hindu religion to perpetuate its hold on the people. The barriers created by the caste system must be torn to pieces and then only a real solution will emerge. An unceasing war should be waged, with all our people participating in it, to end this evil of the oppressive caste system which is responsible for creating inequalities on account of birth. All the political parties, irrespective of their ideologies, should unite together on this basic issue. They should agitate for providing land and jobs to Harijans.

If this is not done, the Scheduled Caste people will always remain slaves of landlords. I will give an example. On the borders of Kerala and Tamil Nadu, some scheduled tribes are living on the slopes of Valaiyaru mountain. They are working as labourers in the farms belonging to rich people. I would narrate here what this affluent section did to these people. They did not permit them even to live together in a *cheri*, for they feared that if they were allowed to do so they might form Unions and start demanding fair wages. They ordered that these people should live on their lands, separated from one another. After some time these labourers got the forest land from the Forest Department on the slopes of the mountain and put up huts for their living. There were about 96 huts, and there was not even a road to reach that hamlet known as Mavuthampadi. On a particular night, all these 96 huts were

[Shri K. Ramani]

burnt to ashes by the rich landlords. No action was taken against them. Their intention was that then only these people would come to them as labourers and entirely depend on them for their livelihood. They were afraid that if they had been allowed to continue to live together in these huts, they would form a Union and start demanding fair wages and eight-hours' work a day. I reported this matter to the Government and I also referred this to the Central Government here in the form of a question. The reply I got was that they were collecting information about this incident. Even today there are no huts for them there. They continue to live on the lands of individual landlords. The assistance given by the Government is just Rs. 10 per family. Can they construct a house with ten rupees and do they have land to construct a house? The District Welfare Officer who is supposed to look after Harijan Welfare has no powers and he cannot function independently. He has to work under the direction of the District Collector. When we asked the revenue authorities to provide land they said that there was no revenue land available with them. The Forest Department would not give their land to the Revenue Department. These people are told that they could take forest land on lease, if there is any, otherwise they have to continue to work as labourers on the lands of rich people.

I would like to ask the Government what programme they have to change the lot of the landless labour. They have no schemes at all before them. What the Government have done so far is to have a Department and to place it under a Minister to look after it. The maximum that the Department has achieved is a slight increase in the funds for the Harijans. It is claimed that, by providing a few more schools, their educational needs have been met. I have practical experience of this also. I visited the hostel of a tribal school in my district. There is a big hall in the hostel in which 30 or 40 people can dine at a time. I saw the remnants of food strewn all over the place and some torn mats were also lying here and there. This hall was being used for dining, for reading, for sleeping and for so many other things. There was only one teacher in the school. He told me that he was living all alone as he could not bring his family from the plains to this hilly area. He was procuring the necessary provisions; he was arranging everything for the boys and was doing all other chores. After doing all this he was trying to find time for teaching the boys. This is the kind of education given to these people. You cannot improve the lot of Harijans this way. Whatever little that is being done is just to get the votes of these people at the time of elections for Parliament, State Legislatures and Panchayats. At the time of elections they are given free food for a day and are being converted into mere voting machines by the rich people. All of us are aware of the sad plight of the Harijans. That is why when the hon. Members belonging to the ruling party insisted that this discussion should be extended to 20 hours, we gave our ready support.

The programme like opening of schools, awarding of scholarships etc. are not adequate to tackle this problem. The Government should take more energetic steps for redistribution of all the land available in the country to the Harijans, scheduled castes and scheduled tribes. Nobody should be permitted to have more than 10 acres of land. After doing this, if it is further necessary we can try to find jobs for them in industry, transport and other trades. This is the only method by which you will be able to tackle their basic problems. All the political parties, if they really wish to better the lot of the scheduled caste people, should join hands to fight the evils of oppressive caste system, untouchability and segregation and other concomitants and see to it that they do not live in slums any longer. With these words I conclude my speech.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, जो विषय आज लोक सभा के सामने है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । लोक सभा के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक घटना कल घटी कि इस विशेष प्रश्न पर जिसे एक दो घण्टे में बहस नहीं किया जा सकता, 16 घण्टे नहीं 20 घंटे दिये

गये । यह एक बड़ी अच्छी परम्परा डाली जा रही है । इसके लिये मंत्री महोदय तथा अन्य संसद सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी परम्परा उन दीन गिरिजनों के लिये, उन हरिजन और उन घुमन्तू भाइयों, एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये पड़ी है जिससे उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सके । यह एक बड़ा अच्छा मौका लाया गया है ।

सबसे पहली बात मैं आप से कहना चाहता हूं, बहुत से मित्रों ने इसके बारे में कहा है, संसद सदस्यों ने बड़े भाव भरे शब्दों में सच्ची बातें रखी हैं, मैं उन्हें पुनः दोहराना नहीं चाहता, मगर कांस्टीट्यूशन की एक धारा पढ़ देना चाहता हूं आर्टिकिल 17 में कहा गया है :

> 'Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.'

अब ला के सम्बन्ध में यह जो रिपोर्टें तीन साल की हैं 66-67, 67-68 और 68-69 की इनमें काफी स्वच्छ शब्दों में यह सब बातें कही गई हैं । मैं प्रत्येक रिपोर्ट का ब्यौरे-वार तो नहीं किन्तु एक-एक करके उल्लेख करूंगा और बताऊंगा, यह बताना मेरा कर्तव्य है । आर्टिकिल 17 "अनटचेबिलिटी" छुआछूत, निवारण के बारे में भंडारे साहब और और लोगों ने जो कहा है उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये । एक एकोनामिक रेजोल्यूशन आप लाये थे उस के मुताबिक आप कुछ काम कर रहे हैं । अब यह आजादी के 22-23 साल के बाद जो अभी गांधी शती हमने मनाई है, उसकी पृष्ठभूमि में आज हमें यह "सोशल रेजोल्यूशन" लाना चाहिये जिससे कि कास्टलेस सोसाइटी, जाति-हीन समाज बन सके । जब तक यह कास्ट रिडेन सोसाइटी रहेगी तब तक ये सब अशोभनीय चीजें चलेंगी । अभी एक माननीय सदस्य ने बड़े भाव भरे शब्दों में बताया, स्वर्ण-खाद, 'नाइट स्वायल' के बारे में और माननीय सदस्या श्रीमती इला पालचौधरी ने भी बड़े सुन्दर शब्दों में बताया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, मगर यह कहना चाहूंगा कि 22-23 साल के बाद एक नया रेजोल्यूशन आवे जिसमें कास्टलेस सोसाइटी की महत्वपूर्ण बातें रखी जायं तब यह अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और सोशल इनईक्वलिटी का अंत होगा । इसी के सम्बन्ध में मैं एक बात और कांस्टीट्यूशन से पढ़ कर सुनाऊंगा । उसके बाद मैं प्रत्येक रिपोर्ट पर जाऊंगा । 338 आर्टिकिल संविधान को आप देखें । उसमें यह लिखा है :

> 338 (1) There shall be a Special Officer.... Commissioner.
>
> (2) It shall be the duty of the Special Officer to...... safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President upon the working of those safeguards......
>
> (3) In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be constructed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also the Anglo-Indian community.

मैं सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग के मिनिस्टर श्री जगन्नाथ राव साहब और श्री हनुमन्तैया जी से कहूंगा, यह दोनों विधिवेत्ता, लीगल इल्यूमिनरी हैं, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट के लिये चुप करें, मैं इन दोनों मन्त्रियों का ध्यान इधर खींचना चाहता हूं, यह संवैधानिक बातें हैं जो मैंने 338 आर्टिकिल से पढ़कर सुनाईं । अब 338 (3) पढ़ने के बाद 340 पढ़ना लाजिमी हो गया है । मैं सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इन

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

सब बातों को देख कर विचार करें कि कहां तक संविधान की धारा 340 में दिये हुये 'प्राविजन' के मुताबिक उन्होंने अपने कमिश्नर या स्पेशल आफिसर को कुछ कहा है या नहीं कहा है।

"The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State......"

दूसरे सब-क्लाज में कहा गया है—

"A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each house of Parliament."

एक 'कमीशन आर्टिकल 340 के मुताबिक— जिसे काका कालेलकर (अध्यक्ष) कमीशन कहते हैं—अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिये एप्वाइंट हुआ था, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैं फिर समाज कल्याण मंत्री श्री हनुमंतैया साहब से कहूंगा कि आप यदि संविधान के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, हम लोग रोज संविधान के प्रति शपथ लेते हैं तो आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें और जब आप उत्तर देने लगें तो धारा 338 और 340 दोनों के बारे में उल्लेख करें।

मैंने यह प्रश्न इसलिये उठाया है कि जितनी भी इनकी रिपोर्टें हैं—1966-67, 1967-68 और 1968-69—इन तीनों में, प्रत्येक टाइटल के नाम गलत हैं, मिसनोमर हैं। यहां संविधान में लिखा है—स्पेशल आफिसर, लेकिन आपने उसको यह कर दिया है—कमिश्नर यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे लिखना चाहिये था—फार-ए० बी० सी० एण्ड ओ० बी० सी० जिसका अर्थ है—एमीलियोरेशन आफ दी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज। लेकिन आपने सिर्फ शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स लिखा है, तीसरे प्रकार की जातियों (O. B. C.) को छोड़ दिया है। इनके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है—मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं—

This means, backward classes comprise the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as specified by the President under articles 341 and 342 of the Constitution.

आपको इस तरह से लिखना चाहिये था, जिससे सबका उल्लेख उसमें आ जाता और टाइटल से मिसनोमर न फैलता, इस टाइटल से भ्रम पैदा होता है। यहां यह भी लिखा हुआ है—

Besides this, the Government of India have also recognised "and other backward classes."

हमारे यहां घुमन्तू जातियां भी हैं, अन्य पिछड़ी जातियां, गरीब लोग जिनकी हालत बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जिनके पास न घर हैं, न दूसरे साधन हैं, इनमें लोएस्ट इंकम ग्रुप भी शामिल हैं—इस प्रकार के वर्गों के बारे में भी आपको सोचना होगा। इसलिये मैं अपने नये सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि यह

बहुत विशाल देश है, इस तरह के भ्रामक टाइटल देना ठीक नहीं है। इसका नाम होना चाहिये था—रिपोर्ट आफ दी वेलफेयर कमिश्नर फार ए० बी० सी० एण्ड ओ० बी० सी०। पिछड़ी जाति कमीशन के अध्यक्ष, काका कालेलकर साहब ने भी यही कहा था और उसी के आधार पर हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने भी उस रिकमेन्डेशन को मतैक्य, यूनैनिमसली माना कि इसके लिये एक खास मंत्री अलग से होना चाहिये जिसका काम हो—एमीलियोरेशन आफ दी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज। यह ठीक है कि आपने इन रिपोर्टों के पन्ने-पन्ने में इन तीनों के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन रिपोर्ट के टाइटल में इन तीनों का उल्लेख करने में आपका क्या नुक्सान होता था? इस से घुमन्तू जन तथा अन्य पिछड़ी, गरीब जातियों और दूसरी बहुत पिछड़ी हुई जातियों को कुछ सांत्वना मिलती कि इसमें हमारे लिये भी लिखा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपने उसके विषय में इसमें लिखा है, किन-किन वालंटरी आर्गेनिजेशन्ज को आप पैसा देते हैं, दूसरी बातों का भी उल्लेख किया है, लेकिन टाइटल में केवल दो जातियों का उल्लेख किया और तीसरी को छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।.........

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : सभापति महोदय, इसके लिये 20 घण्टे मिले हैं, दूसरों को आप ने 30-30 मिनट दिये हैं—यह तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। आप यदि दो मिनट दें तो अच्छा है। तीनों रिपोर्टों की बात कहूंगा, आप मुझे आज्ञा दें।

सभापति महोदय : 20 घण्टे में से आठ घण्टे खत्म हो गये हैं।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं 16वीं रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इसके पेज 18 पर "सेफगार्ड्स अगेंस्ट सुपरसेशन" के बारे में कहा है कि 190 हरिजनों और गिरिजनों सरकारी नौकरों का सुपरसेशन हुआ है, जिनको सिलैक्शन ग्रेड में जाना चाहिये था, लेकिन उनको नहीं लिया गया। वहां पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इन गरीब हरिजनों और गिरिजनों को आगे नहीं आने देना चाहते। एक तरफ हम रिजर्वेशन देते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको आगे नहीं बढ़ने देते—आज यह भावना इन लोगों में फैली हुई है।

इसी 16वीं रिपोर्ट की एक और चीज पढ़ना चाहता हूं—आपने कहा है कि आप घर बनाने के लिये जमीन देंगे—मैं रिपोर्ट के 37 पेज से पढ़ कर सुना रहा हूं—

16th Report, page 37:

"A scheduled caste woman of a village in District Arrah, Bihar represented to this office in 1965 that she had applied for monetary assistance for construction of a house in 1962, but in spite of her best efforts she had not yet received anything. The matter was taken up with the authorities and in early 1966 a subsidy of Rs. 600 was sanctioned to her. Even after going through the necessary formalities of signing agreement etc. on 14.12.66 the amount had not been disbursed to her till late July 1967, when she again approached this office for help. The matter has again been referred to the authorities concerned. The reply is a waited."

सन् 62 से वह हरिजन औरत दौड़ती रही लेकिन 67 तक कुछ नहीं हुआ, जब वह फिर सहायता के लिये गई तो अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ये दो उदाहरण मैंने आप के सामने रखे हैं।

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

थोड़ा सा 17वीं रिपोर्ट के बारे में भी कह दूं—इसके पेज 99-100 पर लिखा गया है—वालंटरी आर्गेनिजेशन्ज के बारे में, लैंड के बारे में, लेण्ड एण्ड हाउसेज के बारे में। हमारे चौधरी रणधीर सिंह ने बहुत बड़ी-बड़ी और अच्छी बातें कहीं हैं। उन्हें कहना ही चाहिये—लेकिन मैं आज उन्हें एक उपहार देने आया हूं। वह हमारी कांग्रेस कमेटी की कृषि सब-कमेटी के संयोजक रहे हैं। उन्होंने भूमिहीन लोगों के बारे में एक रिपोर्ट दी है। भूमिहीन लोगों का मतलब है—80—90 प्रतिशत ऐसे हरिजन, गिरिजन और घुमंतुजन अन्य पिछड़े गरीब वर्गों के, जिनके पास घर बनाने के लिये जगह नहीं है। उन्होंने कहा था कि कृषि मजदूरों को मवेशी रखने के लिये और बसोवास (Homestead) के लिए मुफ्त जगह चाहिये और यह काम तीन वर्षों में होना चाहिये। मैं भाई रणधीर सिंह से कहूंगा—आप 'रण' में बड़े धीरज के साथ तीन साल के भीतर कम से कम इतना काम तो करा दीजिये। आप में बड़ी ताकत है। सारे देश के कृषि मजदूरों के लिये, जिनमें हरिजन, गिरिजन ही नहीं, और भी गरीब लोग आते हैं, जो इकानामिकली, आर्थिक दृष्टि से बैकवर्ड हैं, पिछड़े वर्ग के हैं ; उसके लिये भी इन्होंने निश्चय किया था कि न्यूनतम मजदूरी देंगे। और भी बहुत सी बातें हुई हैं।

अब मैं आपके सामने लैंड डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कुछ स्टैटिक्टिक्स रखना चाहता हूं। आप 18वीं रिपोर्ट के पेज 29 पर देखें। जम्मू कश्मीर में साढ़े चार लाख एकड़ जमीन सरप्लस थी जिसमें से एक-एक रत्ती बांट दी गई हरिजनों में और दूसरे लोगों में। आंध्र प्रदेश में 73692 एकड़ अतिरिक्त भूमि थी लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में है, एक इंच भूमि भी नहीं बांटी गई है—हो सकता है उसके बाद 69-70 में कुछ भूमि बांटी गई हो। त्रिपुरा में तो बहुत कम ही जमीन थी। महाराष्ट्र में भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। 2,46,619 एकड़ अतिरिक्त भूमि में से केवल 87,818 एकड़ भूमि ही बांटी गई है। आसाम में भी बहुत कम जमीन वितरण की गई है—केवल 466 एकड़ ही बांटी गई है। मैं इस सम्बन्ध में जम्मू कश्मीर की प्रशंसा अवश्य करना चाहता हूं। लेकिन मैं दुःखी और लज्जित हूं कि इसमें बिहार का कहीं नामोनिशान तक नहीं है।...(**व्यवधान**)...

जहां तक हरिजनों के आवास की समस्या का सम्बन्ध है, सभापति जी आपका भी गांवों का बहुत बड़ा अनुभव है, आपने भी बड़े-बड़े त्याग किये हैं, आपने भी जा कर के देखा होगा कि किस तरह से उनके छोटे-छोटे झोपड़े हैं जिनमें कि आपको नीचे से रेंग कर जाना होगा; आप उनमें सीधे जा नहीं सकते हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कुछ न कुछ किया है लेकिन जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। वैसे तो यह इतना बड़ा कार्य है कि जितना भी आप करते जाइये आपको यही मालूम होगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिये इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं.........(**व्यवधान**).........

सभापति जी, जैसा कि और मित्रों ने यहां पर सुझाव दिये हैं, वह बिलकुल सही है कि कानून और समाज कल्याण—इन दोनों विभागों को अलग अलग किया जाये। काका कालेलकर कमीशन की यूनानिमस, मतैक्य, रिकमेंडेसन के आधार पर ही प्रधान मन्त्री ने इसको अलग किया था। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कानून से इसको अलग रखा जाये वरना इसकी हर बात में कानून की पेचीदगियां आयेंगी। इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय इसके लिये समुचित समय नहीं दे पायेंगे।

इसके अलावा प्लानिंग कमीशन में एक सैल (cell) होना चाहिए, ए बी सी — एमिलियोरेशन आफ बैकवर्ड क्लासेज। जैसा कि और लोगों ने कहा है 22–23 साल हो चुके हैं लोग कहां तक संतोष करें ; किस प्रकार हर तरह के ह्यूमिलिएशन को सहते जायें ? यह नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको प्लानिंग कमीशन से कह करके धन प्राप्त करना होगा। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनको देखकर आश्चर्य होता है कि कहीं 6 लाख रु०, कहीं 46 लाख रु० हाउसिंग के लिए दिए गए हैं। पेय जल ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपने कुछ थोड़ा सा काम किया है फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कई बार प्रधान मंत्री ने सही कहा है कि मेरे सामने गरीबी की तस्वीर नाचती रहती है··· (**व्यवधान**) ··· आपके द्वारा मेरा यही निवेदन है कि फोर्थ प्लान सामने आ रहा है, प्रोफेसर गाडगिल, उपाध्यक्ष, योजना कमीशन और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जितने काम हों वह गरीब गिरिजन, हरिजन तथा घुमन्तु-जनों तथा अन्य गरीब पिछड़े वर्गों को सामने रख कर किए जायें। जब आप इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, तभी इस समाज और देश का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज बहस चल रही है इसमें आज कुछ सदस्यों ने भाग लिया और इससे पहले भी काफी सदस्य भाग ले चुके हैं लेकिन मुझे एक बात का जरूर हर्ष है, और वह यह कि मैं बहुत दिनों से संसद में हूं और मैंने देखा कि जब भी ये रिपोर्टें आया करती थीं तो यहां पर एक तरीका था कि जितने शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं, यही बोला करते थे और कुछ ऐसा लगता था जैसे बाकी लोगों का उससे कोई मतलब ही नहीं है। परन्तु इस बार यह परिवर्तन आया है जो इस बात की जागरूकता का संकेत है कि और लोगों में भी इस बात की भावना जागी है कि शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज सम्बन्धी जो रिपोर्ट है वह एक बहुत अहम सवाल है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के हर तबके को उसमें उतनी ही जागरूकता रखनी चाहिये और जो आज उनके जीवन में खामियां हैं उनका निदान हम राष्ट्रीय स्तर पर कर। कई बार पहले भी हम लोगों ने इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि यह डिबेट हाउस में एक अहम डिबेट होनी चाहिए और उसका महत्व होना चाहिए। मैं समझती हूं इतनी बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट जैसी कोई दूसरी हो नहीं सकती है क्योंकि इसमें करोड़ों व्यक्तियों का सवाल है जो कि अभी तक उस आजाद दुनिया के हकदार नहीं बन सके हैं जिनके लिए कि आजादी आई थी। इसीलिए मुझे इस परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता है। जैसे कि मोर हर चीज को देखकर जब अपने पैरों पर नजर करता है तो उसकी सारी खुशी मिट जाती है। मुझे ताजुब होता है, अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे उन्होंने प्रधान मंत्री और सरकार के बारे में कीर्तिगाथा गाई परन्तु मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर जो कि हमारा एक अंग है भारत का और जिसके मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री के खास लाडले हैं फिर चिराग तले इतना अंधेरा —क्यों है ? जम्मू कश्मीर में आज तक हरिजनों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है—इसका जवाब क्या प्रधान मंत्री देंगी ? मैं जानना चाहती हूं क्या हरिजनों के हक जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके एक हैं और बाकी मुल्क में दूसरे हैं — हिन्दुस्तान की सरकार इस बात का जवाब दे कि जम्मू कश्मीर में आज तक इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है ? क्या इसका ताल्लुक है सादिक सरकार से ? क्या इसका ताल्लुक उस संविधान से है जिसका हिस्सा

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

जम्मू कश्मीर पर लागू होता है ? यह एक ऐसी समस्या है जिसमें न कोई जाति है, न कोई वर्ग है, न कोई सम्प्रदाय है और न कोई राज्यों की सीमा है—यह एक राष्ट्रीय सवाल है जोकि हमारे लिए सबसे बड़ा है। हमारे लोग उन हकों को नहीं पा सकते हैं जिनका हकदार हमने वैधानिक रूप से उनको बनाया है। तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर इस सरकार में जरा सी वफादारी है तो यह गरजने वाली सरकार कम से कम कुछ बरस कर भी दिखाये कि कितना काम कर सकती है। मैं चाहती हूं कि इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद का जवाब देते समय ला मिनिस्टर इस बात का एलान करें कि जम्मू और कश्मीर में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को वही हक मिलेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि ला मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। यह अच्छा होगा कि वही इस बारे में देखें। मैं आर्टिकल 335 को अंग्रेजी में पढ़ना चाहती हूं क्योंकि अंग्रेजी का संविधान मेरे सामने है। उसमें कहां गया है कि :

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration...."

मैं तो संविधान सभा की सदस्य थी नहीं, परन्तु मैं समझती हूं कि इसकी जरूरत थी ही नहीं। संविधान सभा में डा० अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनका दिया हुआ संविधान है। इस संविधान के देने में उनका बड़ा भारी महत्व है और उन्होंने इस मुल्क को बहुत अच्छा संविधान दिया, लेकिन जब वही डा० अम्बेडकर संविधान बनाने बैठे तब इन शब्दों की क्या जरूरत थी उसमें कमी क्या थी ? क्या खोट थी ? ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएन्सी का सम्बन्ध जाति, सम्प्रदाय या घर से थोड़े ही होता है। आज भी मैं समझती हूं कि आर्टिकल 335 को अमेंड करना चाहिये और कहना चाहिये कि हम इस पोर्शन को डिलीट करना चाहते हैं :

"....consistently with the maintenance of efficiency of administration...."

यह मामला कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, यह एक मान्य बात है कि एफिशिएन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक किसी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय से नहीं है। यह इन्सल्ट है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की। हमको संविधान ने यह हक नहीं दिया है कि हम किसी को गौण दृष्टि से देखें। संविधान में एक नागरिक की तरह जैसे हमें हक है उसी तरह एक नागरिक की तरह हर व्यक्ति को हक है जो शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का मेम्बर है। इसके लिये खास तौर पर धारा 335 है जिसमें लिखा हुआ है कि :

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration...."

मैं चाहती हूं कि यह शब्द इस आर्टिकल में से निकाले जायें। अगर गवर्नमेंट इस तरह का अमेंडिग बिल लाये तो हम उसको सपोर्ट करेंगे।

"....consistently with the maintenance of efficiency of administration...."

इसकी कोई जरूरत नहीं।

मैं समझती हूं कि हजारों वर्षों से जिनके साथ हमने अन्याय किया है उनके साथ हमें न्याय करना होगा और उस न्याय को करने के लिये हम को अपना पहला कदम जल्दी उठाना होगा। लोग यह ठीक कहते हैं कि जिस वाता-

वरण में बच्चे पलते हैं वह वैसे ही बन जाते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम बड़े परिवार से आते हैं, हमारे बाल-बच्चों को खाना-पीना मिला हुआ है, वह तो वैसे ही स्वथ्य रहते हैं, परन्तु हमारी ही ऊंची जाति के लोगों में ऐसे परिवार भी हैं जो गरीब हैं। तराई में जो ब्राह्मण और ठाकुर हैं वह कहने के लिये ही ब्राह्मण और ठाकुर हैं। असल में वह गुरबत में हैं। उन के बच्चों की एफिशिएन्सी देखिये और जो खुशहाल लोग हैं उनके बच्चों की एफिशिएन्सी को देखिये। उनमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। हर एक में बचपन में ही एफिशिएन्सी पैदा हो जाती है। जिसका बुनियादी स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य में कोई अलगाव नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक ही चीज हैं। अगर किसी को खाना अच्छी तरह से नहीं मिलता है तो उसकी ग्रोथ स्टिंटेड हो जाती है यह बात हमको माननी पड़ेगी कि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी इसमें। अगर वह किसी मां के पेट से पैदा हुआ है तो उसका यह मतलब नहीं कि उसको अवसर न मिले। समाज ने बराबर उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं।

मुझे याद है जब संविधान बनने की बात हो रही थी, उस समय गांधी जी जिन्दा थे, कुछ लोगों ने उनसे इस बात को कहा कि संविधान में लोगों को बालिग मताधिकार नहीं देना चाहिये क्योंकि यहां के लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत अनपढ़ हैं और वह अपने इस अधिकार का उपयोग ठीक ढंग से नहीं करेंगे। आज भी वही बात लोगों के कानों में गूंजती है। गांधी जी ने कहा था कि क्या तुम समझते हो कि चूंकि तुम्हारा वातावरण अच्छा था इस लिये जब आजादी का सूरज निकलेगा तब तुम्हारे यहां ज्यादा रोशनी आयेगी और उनके यहां कम रोशनी आयेगी ? उन्हें समाज ने सताया है। समाज की विडम्बना की वजह से वह पीछे रह गये हैं। अगर आज उनके जीवन में रोशनी नहीं दिखाई देती है तो उन लोगों को इसका प्रायश्चित करना है जिनके कारण ऐसी स्थिति आई है। उस वर्ग में मैं आऊं या कोई भी आये, अगर समाज के वर्गों के कारण उनके जीवन में रोशनी नहीं आई है तो समाज को इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके लिये हमको यह नहीं सोचना चाहिये कि हम कोई गलत काम करें। हमें इस बात का कंविक्शन पैदा करना होगा अपने में कि हम इसके लिये जिम्मेदार हैं। हमें इस बात को महसूस करना है कि उनको अपनी बात करने का मौका होना चाहिये, हमें उनकी बात कहने का मौका होना चाहिये, उनके दुःख दर्द के बारे में हमें आवाज उठानी चाहिये। उनके आवाज उठाने में वह खूबसूरती नहीं रहती जिसकी हम राष्ट्रीय जीवन में अपेक्षा में करते हैं। यह आवाज हमारी तरफ से उठनी चाहिये। हमें उन अपेक्षाओं को, जो हम उनके लिये पैदा करना चाहते हैं, कारगर करना पड़ेगा, उनको प्रस्फुटित करना होगा। हम उनके दुःख दर्द को समझते हैं इसी लिये मैं समझती हूं कि हमें प्रायश्चित करने का इन्तजाम करना होगा। उनको पोषणा देना होगा।

आज हमको देखना होगा कि पिछड़े वर्गों के लोग काम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स में क्यों नहीं आ पाते हैं। क्या वह हमसे कम इन्सान हैं, क्या उनमें हमसे कम अक्ल है ? क्या वह किसी मां के पेट से नहीं पैदा हुए हैं ? आज उनको वह वातावरण नहीं मिला, उन्हें वह खुशहाली नहीं मिली, जिससे वह बच्चे स्वस्थ हो सकते। इस लिये समाज को प्रायश्चित करना होगा और जो कुछ समाज ने उनको आज तक नहीं दिया, वह देना पड़ेगा। आज उनके लिये एक आध सोशल क्लासेज चल रही

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हैं जिनमें उनको आई० ए० एस० और दूसरे आल इंडिया काम्पिटीशन्स में एग्जामिनेशन देने की सहूलियतें मिल जाती हैं, लेकिन वह बिल्कुल नगण्य हैं। इसका इन्तजाम हमको हर जगह करना होगा क्योंकि हमको उन्हें आगे बढ़ाना है और हाथ पकड़ कर सहयोग देना है।

मैं कहती हूं कि आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट्स को देखिये। भयंकर रिपोर्ट हैं। इस साल की रिपोर्ट देख कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने और आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं। कितने साल के बच्चे? 5, 6 और 8 साल के बच्चे। अगर वह काम न करें तो क्या उनके संरक्षण के लिये कोई सामान है? मैं अपने इलाके के एक गांव में गई। वहां एक हरिजन औरत थी जिसके आठ बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि फैमिली प्लैनिंग करो नहीं तो इन बच्चों को कहां से खिलाओ पिलाओगी वह कहने लगी कि मालकिन, मैं फैमिलीप्लैनिंग क्या करूं? मेरे आठ बच्चे हैं अगर भीख मांग कर भी लायेंगे, घास काट कर लायेंगे तब भी रोटी तो मिल जायेगी। यह न होंगे तो मैं खाऊंगी क्या? यह मेरे बच्चे मांग कर लाते हैं और रोटी चलाते हैं, कम से कम गुजर बसर तो हो जाती है, नहीं तो मैं कहां से खा सकूंगी? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज भी मैंने देखा है कि पांच-पांच, आठ-आठ साल के बच्चे, दस साल के बच्चे काम करते हैं दस दस घंटे। इस लिये कि उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है।

आपने चाइल्ड लेबर बैन कर दी है। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। आज भी चाइल्ड लेबर चलती है। आज भी वह ऐसी कंडिशन्स में काम करने के लिये कम्पेल किये जाते हैं जिसको सुनकर लज्जा आती है। हम एक स्वतन्त्र मुल्क हैं। हमारे लिये यह एक शर्मनाक चैप्टर है। चाइल्ड लेबर में ज्यादातर बच्चे वही हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं, जिनको काम करने के लिये मजबूर किया जाता है, जिनकी कोई देख भाल करने वाला नहीं है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं और खराब जिन्दगी बिता रहे हैं। वह जिस तरह से मां के पेट से निकलते हैं वैसे ही रह जाते हैं और कभी एनलाइटेनमेंट की रोशनी नहीं देखते। कभी उनके दिमाग की खिड़कियां खोली नहीं जा सकतीं क्योंकि वह मजबूर हैं, वह बचपन से काम करना शुरू करते हैं, पढ़ें लिखें कैसे? मैं समझती हूं कि अगर आप उनका काम करना कानून मे नहीं रोक सकते तो उनके पढ़ने लिखने की सुविधा का प्रबन्ध कीजिये। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। आप शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की वर्षों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिये कि उसमें ऐसे पैराग्राफ्स हैं या नहीं।

हमने ऐलान कर के कहा कि हम सारे शहरों में 1975 तक दस प्वाइंट प्रोग्राम लागू कर देंगे। लेकिन उसको पूरा करने के बजाय अगर हम पीने के पानी का ही इन्तजाम कर दें तो गनीमत है। आज पीने के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत किस को है? उन लोगों को नहीं जो बड़े कास्ट्स के लोग हैं, उन लोगों को है जो बहुत दूर जाकर हरिजन कुंओं से पानी पीते हैं। हम लोग अपने-अपने इलाकों में देखते हैं कि हरिजन कुआं अलग होता है। गांवों में टोले अलग-अलग होते हैं और टोलों में कुएं अलग-अलग होते हैं। टोले का कुआं अलग होता है और हरिजनों का कुंआ अलग होता है। जहां पर हरिजन कुआं होता है वहां से जाकर उनको पानी पीना पड़ता है, और कई बार तो लोग मीलों से हरिजन कुंओं से

पानी पीने के लिये आते हैं। आज तक जब हम उनके लिये ड्रिंकिंग वाटर का इन्तजाम नहीं कर सके तब हमको कहने का कोई हक नहीं है कि हम हरिजन के फायदे की बात कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात जो हमको पैदा करनी है वह है डिग्निटी आफ लेबर। आज सब जगहों पर लैंड ग्रैब मूवमेंट चल रहे हैं। इसमें क्या बात है? आज प्लैनिंग कमिशन के फिगर्स हैं कि दस लाख एकड़ जमीन अरबनाइजेशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में खप जाती है। हर साल दस लाख एकड़ जमीन इसमें खप जाती है चाहे हम सड़क बनायें, चाहे इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट करें। शहरों के डेवेलपमेंट में इतनी जमीन चली जाती है। हम अपने लोगों की बात क्या कहें जिनके पास बीस एकड़, तीस एकड़ है। हमारी जमीन गण्डक में चली गई तो हमको दूसरी जमीन दे दी जायेगी लेकिन अधिकांश दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं। इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कहां होता है? जहां ट्राइबल लोग रहते हैं क्योंकि वहां पर ही रा मैटीरियल मिलता है। अगर आप इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट के आंकड़े उठा कर देखें तो मालूम होगा कि अधिकांश लोग जो बेजमीन हो जाते हैं वह ऐसे होते हैं जो शेड्यूल्ड कास्टस के होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के होते हैं। स्वाभाविक बात है कि उनके पास आधा एकड़ जमीन होती है, एक एकड़ या दो एकड़ होती है। किसी के पास तो आठ या दस कट्ठा ही होती है, वहां अधिकतर जमीन कट्ठों में होती है। सरकार जो डेवेलपमेंट प्रोग्राम बनाती है उसमें कोई चुन कर के थोड़े ही जमीन ली जाती है। अगर बोकारो के लिये पांच हजार एकड़ जमीन ली जाती है तो उसमें किसकी जमीन गई यह नहीं देखा जाता। हमेशा ऐसा होता है कि जो साधारण आदमी होते हैं जिनमें हरिजन और ट्राइबल भी आते हैं, उनकी जमीनें ले ली जाती हैं और वे बेजमीन हो जाते हैं। आप आंकड़े एकत्र करके देखिये कि कितने हरिजन, कितने ट्राइबल आदि आज प्लानिंग की वजह से बेजमीन हो गए हैं। आजकल लैंड ग्रैब मूवमेंट चल रही है। इसको रोकने के लिये मैं चाहती हूं कि जो बे-घरबार हो जाते हैं, जो बे-जमीन हो जाते हैं, उनमें से जिनके पास कम से कम दो एकड़ जमीन थी और यह दो एकड़ की आप सीमा निर्धारित कर दें उनको, अगर अर्बनाइजेशन के लिये जमीन ली जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भूमि ली जाती है तो जमीन के बदले जमीन ही दी जाए, पैसा नहीं दिया जाए। मैं जानती हूं कि छोटा नागपुर में लोगों को कम्पेंसेशन के तौर पर कुछ पैसे दिये गये थे और उन्होंने जाकर ताड़ी पीने में उन पैसों को खर्च कर दिया। उनको पैसे का किस तरह से अच्छा इनवेस्टमेंट हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है और न ही इसकी कोई सुविधा वहां उपलब्ध है। उनको पैसा मिला, उस पैसे को वे खा-पका गए, कुछ इधर उधर कपड़े पर खर्च कर दिया और कुछ ताड़ी पीने में खर्च कर दिया। सारी जिन्दगी उनकी अब अंधेरे में बीतेगी। कोई उनको राहत देने वाला नहीं है, सहारा देने वाला नहीं है। ट्राइब्ज का हो शेड्यूल्ड कास्ट का हो या कोई भी हो जिसके पास दो एकड़ जमीन है अगर वह ली जाती है तो उसको जमीन के बदले जमीन ही दी जानी चाहिये। पैसों में उसको कम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए।

बहुत से लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं। मैं नहीं समझती हूं कि वे गम्भीरता से ऐसा करते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जिनको कहते हैं घड़ियाल के आंसू, उनको वे बहाते है। केन्द्र की सरकार हो या राज्य की किसी भी पार्टी की सरकार हो, वे जरा अपने गिरहबान में झांक कर देखें। टाटा, बिड़ला वगैरह को बड़े-बड़े लाइसेंस दे रखे हैं। टाटा बिड़ला वगैरह

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

के पास यह जो इतनी जमीन है, ये सब जमीन लेकर पैदा तो नहीं हुए थे। अगर ये गांवों में जाकर जमीन लेना चाहें तो इनको एक बीधा भी जमीन नहीं मिल सकेगी। गांवों में इनको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। जमीन बेचता कौन है? वही बेचता है जो मजबूर होता है वर्ना कोई बेचना नहीं चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि उनको जो बड़े-बड़े फार्म मिल गये हैं, जरा पता तो लगाएं कि किस तरह से उनको मिले हैं और किन्होंने दिये हैं। 95 परसेंट जो बड़े-बड़े फार्म बने हैं इन पिछले बरसों में वे सब लीजिज के हैं। अब लीजिज किसने दी है? सरकार ने ही तो दी है। हजारों एकड़ फार्म बिड़ला, टाटा, रूइया को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में जा कर आप देख सकते हैं। चराग के तले इतना अंधेरा है कि कुछ सूझता ही नहीं हैं। बहुत गहन अंधेरा है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में कुछ कहना हो तो कहा जा सकता है।

उनके कलाम के भीतर है उनकी खामोशी
न जाने कितने सवालों की आबरू रखी

AN HON. MEMBER : What is the translation?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसका मतलब यह है कि उनकी चुप्पी ज्यादा सिगनिफिकेंट है। उनकी बोली में वह बातें आती तक नहीं जो उनके जीवन में बीतती है—

Silence is more eloquent than their words because it has covered so many unfortunate things in their lives. So many problems have remained covered because they are silent, they have not spoken.

आज सरकार लैंड प्राबलैम की बात करती है। अगर सरकार वफादार है तो क्यों नहीं वह इन लीजिज को सैंट परसैंट कैंसल करती है और कैंसल करके जो जमीन मिले, उसको क्यों नहीं हरिजनों आदि में बांट देती है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह का आप मुआयना कर लें कि कितनी लीजिज जमीन की दी गई हैं और कितने बड़े-बड़े फार्म, हजार हजार एकड़ के फार्म बने हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : बिहार में भी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बिहार में इतनी जमीन नहीं थी। लेकिन अगर वहां जमीन के लीजिज दिये गये हैं तो उनको भी कैंसल आप करें। होता क्या है? डेढ़ दो रुपये रेंट पर जमीन लीज कर दी जाती है। एक तो वे लोग हैं जो खुद खेती करते हैं और बड़े-बड़े फार्म्ज के हकदार हो गए हैं और लाखों करोड़ों रुपया बनाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो सब-लीजिज कर देते हैं, खुद खेती करते नहीं हैं, डेढ़ रुपये में। सरकार उनको लीज पर जमीन दे देती है और आगे वे दो-दो हजार रुपये में सैटल कर लेते हैं। यह भी एक तरीका है जिससे सरकार उनसे मुनाफाखोरी करवाती है। सरकार के मुख्य मंत्री करा रहे हैं, सरकारी जो मैम्बर बैठे हैं, वे करा रहे हैं। आंध्र में रूलिंग पार्टी की सरकार है। वहां से आप इसको शुरू तो करें। मैं हैदराबाद गई थी बम्बई सैशन के बाद। वहां मैंने सुना कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी कहते हैं कि बम्बई की बात बम्बई में थी। हैदराबाद में सब बातें नहीं चल सकती हैं। यहां लैंड रिफार्म उस तरह से नहीं होंगी। पता नहीं यह बात कहां तक सही है या गलत है। परन्तु चावलों का स्वाद एक चावल से ही मालूम हो जाता है। आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले आप लैंड रिफार्म क्यों नहीं करते हैं? वहां अगर बड़े-बड़े फार्म हैं, लीजिज हैं, डालमिया के नाम, सिंघानिया के नाम, साहू जैन के नाम, बिड़ला, टाटा के नाम तो उनको देख

कर आप उनको कैंसल करें और वह जमीन हरिजनों और ट्राइबल्ज में बांटें ।

मैंने शुरू में कहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी बात है डिगनिटी आफ लेबर पैदा करने की, उनको ऊपर उठाने की, उनको आगे लाने की । आज प्राबलैम जमीन की नहीं है । गांवों में जबर्दस्त बेरोजगारी है । शहर में कोई काम करने वाला सरकारी मुलाजिम हो, तो उसको जमीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती है । जमीन कोई खाने की चीज नहीं है ।

17 hrs.

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : हम लोग हमेशा नौकरी करने के लिये तैयार हैं, लेबर करने के लिए तैयार हैं । हमें नौकरी दो, हम तैयार हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने आपको इंस्पायर किया और आप खड़े हो गये । जो बात मैं कह रही हूं उसको खत्म करने का मुझे आप मौका तो दें, पूर्ण बिराम लगाने का मौका तो दें ।

जमीन कोई खाता नहीं है । उनको मिट्टी नहीं चाहिये । जमीन तो हरिजन इसलिये चाहते हैं कि उनके पास करने के लिये कोई काम नहीं हैं । उनको रोजगार चाहिये, जीविकोपार्जन का साधन चाहिये । इसलिये आज गांवों में जमीन की समस्या नहीं है, आज गांवों में रोजगार की समस्या है । अब रोजगार पैदा करने के लिये हमारे देश में जब तक गांधी के रास्ते पर चल कर इंडस्ट्रीज का डिसैंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक देश की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी, रोजगार के साधन पैदा नहीं होंगे । सभापति महोदय, मैं दक्षिण के दौरे से आ रही हूं । वहां एक जगह है, शिवकाशी । वह तमिलनाडु में है । वहां दियासलाई बनती है, क्रैकर्ज बनते हैं, फायरवर्क्स बनते हैं । अब उनको जिस कागज की आवश्यकता होती है, वह उनको मैनुफैक्चरर्ज से ब्लैकमार्किट में लेना पड़ता है । मैनुफैक्चरर कहते हैं कि हमको तो कुछ ही लोगों को यह कागज देना है, इसलिये हम तो ब्लैकमार्किट रेट चाहते हैं । उन्होंने एक मैमोरेंडम दिया है । वह मैमोरेंडम मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा है । उन बेचारों की जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं, दशा को आप देखें । एक मैनुफैक्चरर के यहां मैंने जाकर देखा कि चार हजार आदमी काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, देहातों के हैं, चारों तरफ से गांवों के लोग आते हैं काम करने के लिए, बाल बच्चों सहित आते हैं । उन लोगों की जो कागज की आवश्यकतायें हैं वे तो पूरी होनी चाहिये । अगर देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको आपने समाधान करना है तो वह डिसेंट्रलाइजेशन और काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है । उस तरह से आपको मदद करनी होगी जिस तरह से गांधी जी ने कमिटमेंट के तौर पर इस काम को हाथ में लेने के लिये कहा था । मुलम्मेबाजी से इस समस्या का समाधान नहीं होगा । मैं भी आज शर्मिंदा हूं । जब यह चीज सामने आती है तो कहना पड़ता है कि इसके लिये हम लोग भी गुनहगार हैं । बहुत हमने गुनाह किये हैं । अब उन गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका आया है । प्रायश्चित कनविकशन के साथ, कमिटमेंट के साथ हम करें, गांधी द्वारा बनाए गये रास्ते पर चल कर करें, इनके जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करें । ऐसा हमने किया तो यह जो कशिशें जिन्दगी में उठ गई हैं, वह दब सकती हैं । रूलिंग पार्टी अपने आपको हरिजनों का दावेदार घोषित करती है । उसके बारे में मुझे सिर्फ यह कहना है :

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो कतराये खून न निकला ।

यह शेर मैं भण्डारे जी की सेवा में पेश करना चाहती हूं ।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): At the outset, I would like to welcome....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech tomorrow.

17.04 hrs.

DISCUSSION RE. FLOODS IN ASSAM

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the discussion on devastation caused by the recent floods in Assam and the measures taken by the Government to meet the situation.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा इस पर प्वाइंट आफ आर्डर है। अब असम फ्लड्ज पर बहस होने जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि कल केरल के फ्लड्ज के बारे में कालिंग एटेंशन आ रहा है। हमने बात उठाई थी कि बिहार में बेहद बाढ़ आई हुई है। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर असम के फ्लड्स पर बहस होती है। लेकिन आप इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें कि बिहार की बाढ़ों के बारे में भी लोग बोल सकें और मंत्री महोदय सबका जवाब दे दें। बिहार के फ्लड्ज को इगनोर किया गया है। उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप आदेश दे दें कि बिहार के बारे में भी लोग बोलें और मंत्री महोदय उसके मुनाल्लिक भी जवाब दे दें।

सभापति महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है इसमें। इस बहस को आप चलने दीजिये।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): I am thankful to you for kindly allowing this discussion on the devastation caused by the floods in Assam and the measures Government have taken so far. True it is that Assam is one of the most neglected parts of India, although the strategic importance of the State is recognised. The problems of Assam are viewed with indifference, callousness and apathy by this Government. As a result, prices are spiralling up in the State. There is scarcity which haunts the State like a nightmare. On the top of the floods, earthquake has also occurred. To cap it all, the strike by railwaymen in Siliguri has dislocated traffic. All these things have affected the economy of the State by raising the prices and by creating a sort of artificial scarcity in the State.

When I said that Assam is one of the most neglected parts of India, I have reasons for it. When the Chinese aggressed on us, our Prime Minister at that time did only one thing: he broadcast a message of farewell to the people of Assam. This has gone deep into the hearts of people there and they will never forget it. The people of Assam had expected from the Prime Minister defence measures, not a farewell message broadcast over A.I.R.

Floods are worse than foreign aggression. They are a regular feature in Assam. Floods visit the State not once and twice but even thrice a year. The devastation caused is indescribable. Could not their intensity be reduced to a minimum by careful planning? They could have plugged the vulnerable points there which they have not done. There is technological development in the world and the gap between earth and moon has been narrowed down. But to say that we cannot apply technology to abate the intensity of floods in the State is entirely wrong.

I do not want to give a detailed account of devastation caused by floods in the State. But the fact remains that granaries and cattle have been washed away, paddy fields have been submerged and washed off, embankments have been broken. According to the Minister himself, there were 14 breaches, and 12 cuts in embankments. Now what has happened ? Some 3 million people have suffered because of these floods. As an aftermath of the floods, cholera has broken out in the Barpeta sub-division, which is represented by Shri F. A. Ahmed. 15 people have died there ; there was one death in Sibsagar, total 16 dead. The immensity and fury of the floods was so much that the